8. संचार

पोस्ट

भारत में आधुनिक डाक-प्रणाली की स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुई। वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित इस डाक-प्रणाली का आगे विकास वारेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1774 में एक पोस्टमास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जी.पी.ओ. की स्थापना करके किया। मद्रास एवं बंबई की अन्य प्रेसीडेंसियो में जनरल पोस्ट ऑफिस क्रमश: 1786 एवं 1793 में अस्तित्व में आया। 1837 अधिनियम ने सर्वप्रथम तीन प्रेसीडेंसियों में पोस्टऑफिस संगठन को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में समान आधार पर एक करने के लिए विनियमित किया। 1854 के पोस्ट ऑफिस अधिनियम ने डाक प्रणाली के पूर्ण स्वरूप का संशोधन किया और भारतीय पोस्ट ऑफिस एक सौ तिरपन वर्षों पूर्व 1 अक्टूबर, 1854 को वर्तमान प्रशासनिक नींव पर रखा गया था। वर्तमान में भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम, 1898 देश में पोस्टल सेवाओं को नियंत्रित कर रहा है। पोस्ट ऑफिस नेटवर्क ने डाक संचार सुविधाओं को प्रदान करने के अतिरिक्त पैसा भेजने, बैकिंग और बीमा सेवाओं की सुविधाओं को भी 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से प्रदान किया है।

पोस्टल नेटवर्क

आजादी के वक्त देश भर में 23,344 पोस्ट ऑफिस थे। इनमें से 19,184 पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,160 शहरी क्षेत्रों में थे। 31.03.06 को देश भर में 1,55,333 पोस्ट ऑफिस थे। जिनमें से 1,39,074 पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्रों और 16,259 शहरी क्षेत्रों में थे। पोस्टल नेटवर्क में इस सात गुने विकास के परिणामस्वरूप आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है।

पोस्टल नेटवर्क के विस्तार में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक डाक विभाग के अद्वितीय तंत्र, पार्ट टाइम अतिरिक्त विभागीय डाकखानों को शुरू किये जाने का योगदान रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विशेष मांगों की पूर्ति के अनुसार स्थानीय निवासियों को नियुक्त किया जाता है, जो पोस्ट ऑफिस की 5 घंटों की अधिकतम अवधि तक देखभाल करते हैं और निश्चित भत्तों के भुगतान पर पत्रों को लाने एवं पहुंचाने का काम करते हैं। भारत में औसत के आधार पर एक पोस्ट ऑफिस 21.16 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और 6623 लोगों की जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान करता है। विभाग द्वारा निर्धारित जनसंख्या, आय एवं दूरी से संबंधित मानकों के अनुरूप पोस्ट ऑफिसों को खोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिसों को खोलने पर सब्सिडी दी जाती है जो पर्वतीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में लागत की 85 प्रतिशत तक होती है और सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागत की दो-तिहाई तक होती हैं।

पोस्टल नेटवर्क में चार श्रेणियों के पोस्ट ऑफिस हैं—प्रधान पोस्ट ऑफिस, उप पोस्ट ऑफिस, अतिरिक्त विभागीय उप पोस्ट ऑफिस और अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट ऑफिस। सभी श्रेणियों के पोस्ट ऑफिस समान पोस्टल सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि डिलीवरी का काम विशिष्ट पोस्ट

ऑफिसों के लिए निश्चित है। प्रबंधन–नियंत्रण के लिए शाखा पोस्ट ऑफिसों से कोष को उप–पोस्ट ऑफिसों में और अंत में प्रधान पोस्ट ऑफिस में लाकर जमा किया जाता है।

31.03.2005 तक इस विभाग में 2.47 लाख विभागीय कर्मचारी और लगभग 2.93 लाख ग्रामीण डाक सेवक थे। उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को एक सुविकसित प्रशिक्षण तंत्र द्वारा पूरा किया जाता है।

डाक पद्धति

प्रथम श्रेणी की डाक जैसे पोस्टकार्डों, अंतर्देशीय पत्रों और लिफाफे को हवाई सुविधाओं से जुड़े स्टेशनों के बीच बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जहां लाभप्रद हो विमान सेवा द्वारा पहुंचाया जाता है।

द्वितीय श्रेणी की डाक जैसे किताबों के पैकेट, सूचीबद्ध समाचार पत्रों और सामयिकी को स्थलीय यातायात द्वारा पहुंचाया जाता है अर्थात रेल एवं सड़क यातायात द्वारा।

अंतर्राष्ट्रीय डाक

भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू.पी.यू.) का और 1964 से एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन (ए.पी.पी.यू) का सदस्य है। इन संगठनों का उद्देश्य है अन्य देशों के बीच डाक संबंधों को बढ़ाना, सुगम करना और सुधारना। भारत 217 से भी अधिक देशों के साथ स्थलीय और विमान सेवा द्वारा पत्रों का आदान–प्रदान करता है।

मनीआर्डर के माध्यम से चुने हुए देशों से रुपया भारत भेजा जा सकता है। भारत से 27 देशों के साथ मनीआर्डर सेवा की व्यवस्था है। भारत का भूटान एवं नेपाल के साथ दोतरफा मनीआर्डर सेवा का संबंध है अर्थात इन देशों से और इन देशों को मनीऑर्डर भेजा जा सकता है। शेष 25 देशों के साथ सिर्फ आनेवाली सुविधा उपलब्ध है अर्थात इन देशों में जमा किए गए रुपये का भारत में भुगतान हो सकता है। यह विभाग तीव्र, विश्वसनीय और कुशल मनी ट्रांसमिशन सेवा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवा शुरू करने के लिए विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर सेवा जो 1986 में पांच देशों के साथ शुरू की गई थी, अब उसका विस्तार 97 देशों के साथ हो गया है। विदेशी स्थानों से निर्यात एवं आयात को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में विनिमय के मुख्य विदेशी कार्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त आयात एवं निर्यात दोनों के लिए अहमदाबाद, बंगलोर, जयपुर, कोचीन, श्रीनगर एवं नोएडा में छह उप विदेशी पोस्ट ऑफिसों की स्थापना की गयी है। वाराणसी, कानपुर, सूरत, लुधियाना, मुरादाबाद और गुवाहाटी में इन क्षेत्रों में निर्यातकों/पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात विस्तार खिड़की को भी प्रारंभ किया गया है।

इस क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी मेल प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण को शामिल किया गया था। गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आगे कदम उठाते हुए डाक विभाग ने 3 सितंबर, 2003 से सभी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदार चीजों के लिए 13 अंकीय बार कोड लेबल शुरू किया है। इस बार कोड के उपयोग से चीजों की डीलीवरी एवं ट्रांसमिशन के बारे में बेहतर तरीके से पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिये मानवीय तंत्र के मुकाबले ट्रांसमिशन एवं डिलीवरी की प्रत्येक स्तर पर बेहतर जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिसका लाभ ग्राहकों और डाक प्रशासन दोनों को प्राप्त होता है।

व्यापार विकास प्रक्रियाएं

खास ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी सेवाओं के विज्ञापन एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से 1996 में एक व्यापार विकास निदेशालय की स्थापना की गई थी। पोस्टल उत्पादों के संपूर्ण भंडार के विज्ञापन पर तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2005 को इस निदेशालय को व्यापार विकास एवं विपणन निदेशालय के रूप में पुनर्सगठित किया गया। व्यापार विकास एवं विपणन निदेशालय (बिजनेस डेवलपमेंट ऐंड मार्केटिंग डायरेक्टरेट) में पार्सल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग पार्सल और लॉजिस्टिक डिवीजन बनाया गया है। इस विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

स्पीड पोस्ट : स्पीड पोस्ट सेवा 1 अगस्त, 1986 को शुरू किया गया था। इस सेवा के अंतर्गत पत्रों, दस्तावेजों और पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है और अवधि में डिलीवरी न होने पर ग्राहक को डाक शुल्क पूर्ण रूप से वापस कर दिया जाता है। स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 266 राष्ट्रीय और 857 राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र शामिल हैं। यह सेवा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी 97 देशों में उपलब्ध है।

3 जनवरी, 2002 को एक इंटरनेट आधारित ट्रैक ऐंड ट्रेस सर्विस स्पीड नेट को शुरू किया गया था। ग्राहकों को स्पीड पोस्ट की गयी चीजों के लिए ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करने के साथ यह प्रबंधन को सेवा की गुणवत्ता, व्यापार कार्य, ग्राहक सेवा विज्ञापन के बारे में सूचना भी प्रदान करता है। यह अब सभी 266 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्रों और चुने गए राज्य स्पीड पोस्ट केंद्रों में सेवा प्रदान कर रहा है।

बिजनेस पोस्ट : इस विभाग ने 1 जनवरी 1997 से पूर्व मेलिंग प्रक्रियाओं के लिए प्रचुर ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस पोस्ट शुरू किया है। इसके अनुसार, यह संग्रह में, चीजों को अंदर रखने में, पता लिखने में, सील करने में, स्टांप लगाने इत्यादि के रूप में डाक द्वारा प्रदान की गई सभी परंपरागत सेवाओं में मूल्यसंवर्द्धन का काम करता है। बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत ग्राहकों को प्रदान की गई पूर्व मेल-सेवाओं में अभी हाल में बिलों की छपाई, वित्तीय ब्योरा, मेलर इत्यादि को भी शामिल कर लिया गया है।

बिल मेल सेवा : वित्तीय स्टेटमेंटों, बिलों, मासिक खाता बिलों और इसी तरह की अन्य चीजें जो सेवा प्रदान कर्त्ता अपने ग्राहकों को पोस्ट कर सकते हैं, आवधिक संचार के मेल के लिए मूल्योपयोगी हल प्रदान करने के लिए 15 सितंबर, 2003 को बिल मेल सेवा शुरू की गई थी।

एक राष्ट्रीय बिल मेल सेवा फरवरी 2005 में शुरू की गई थी जो यह अनुमति प्रदान करती है कि बाहर के गंतव्य स्थानों के लिए जाने वाले बिल मेल सेवा उत्पादों को भी पैकेटों में स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल इत्यादि के रूप में गंतव्य शहरों को भेजा जा सकता है अगर भेजने वाला इसका भुगतान करता है। व्यक्तिगत बिलों का शुल्क सिर्फ स्थानीय बिल मेल सेवा की दरों पर लिया जाता है।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट : एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट स्थलीय यातायात के माध्यम से एक विश्वसनीय और समयबद्ध पार्सल सेवा प्रदान करता है। यह कॉरपोरेट वालों और व्यवसाय संस्थानों के लिए ठेके के आधार पर डोर टू डोर डिलीवरी और 50,000 रुपये तक की वीपीपी सेवा प्रदान करता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की बुकिंग देश में 266 स्टेशनों में की जा सकती है जहां राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र उपलब्ध हैं।

लॉजिस्टिक पोस्ट : इस विभाग द्वारा 2004–05 में एक लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा शुरू की गई थी। यह सेवा पहले ही कई पोस्टल सर्किलों में शुरू हो चुकी है। लॉजिस्टिक पोस्ट बिना किसी अधिकतम सीमा के मालों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। लॉजिस्टिक पोस्ट में माल उठाने, उनकी डिलीवरी, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

मीडिया पोस्ट : यह विभाग कॉरपोरेटों और सरकारी संगठनों को मीडिया पोस्ट के माध्यम से सक्षम ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक अद्वितीय मीडिया प्रदान करता है। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपने ब्रांडों के विज्ञापन के लिए अग्रलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सकते हैं : (क) पोस्टकार्डों, अंतर्देशीय पत्रों और अन्य पोस्टल उत्पादों पर विज्ञापन। (ख) लेटर बॉक्सों पर स्थान के लिए प्रायोजन।

रिटेल पोस्ट : 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिसों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से यह विभाग सरकारी और अन्य निजी संगठनों के लिए सभी जनोपयोगी बिलों को एकत्र करने और आवेदन फॉर्मों की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। रिटेल पोस्ट के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रियाओं में से कुछ हैं– संघ लोक सेवा आयोग के आवेदन फार्मों की बिक्री, पोस्टमैन के जरिये सर्वे, पोस्टमैन के जरिये पते की जांच और पोस्ट नेटवर्क के माध्यम से ऋण आवेदनों को एकत्र करना इत्यादि।

डाइरेक्ट पोस्ट : बहुत सारे देशों ने डायरेक्ट मार्केटिंग/एडवर्टाइजिंग मेल की पहचान विकास की उच्च क्षमता वाले बिजनेस मेल के एक प्रमुख अंग के रूप में की है। उच्च आर्थिक विकास के साथ डायरेक्ट मेल का दायरा भारत में भी काफी विकास करेगा। लक्ष्य समुदाय के घरों तक बिना पते वाले मेलों की डिलीवरी के लिए डायरेक्ट पोस्ट के नाम से जाने वाली सेवा को 2 जून, 2005 में शुरू किया गया था। 18 अप्रैल, 2006 से एक नयी डाइरेक्ट मेल मूल्य संवर्धित सेवा भी शुरू की गयी है। जिसमें बिलों इत्यादि जैसे लेन–देन वाले मेलों के साथ विज्ञापन मेल को मिलाने की अनुमति दी गयी है।

ई–पोस्ट : 30 जनवरी, 2004 को शुरू की गयी इस सेवा के अंतर्गत देश के सभी पोस्ट ऑफिसों में ई–मेल के माध्यम से संदेशों या तस्वीरों को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा लोगों को प्रदान की जाती है। वैसे लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और ई–मेल आई डी नहीं है वैसे लोग भी ई–मेल के माध्यम से संदेशों को भेजने और प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार डिजीटल डिवाइड की खाई को पाटा जा सकता है। इसे व्यापार क्षेत्र के लिए भी उपयोगी बनाने के लिए 18 अक्तूबर, 2005 को ई–पोस्ट का एक कारपोरेट अंग शुरू किया गया था जो 9999 पतों की अधिकतम संख्या को तत्क्षण भेजने की अनुमति देता है।

ई–बिल पोस्टः ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं में से एक के रूप में इस विभाग ने ई–बिल पोस्ट नामक एक नई सेवा शुरू की है। वर्तमान में यह सेवा बंगलोर और कोलकाता में उपलब्ध है। और बहुत जल्दी ही अन्य शहरों में इसके शुरू होने की संभावना है। इसे ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह सेवा बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, पानी और अन्य बिलों के पोस्ट ऑफिस के काउंटरों पर भुगतान के लिए बहुत उपयोगी है। ग्राहक अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

डाक टिकट संग्रह (फिलेटली)

भारतीय डाक टिकट हमारे ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत और हमारी संस्कृति और परंपराओं की समृद्ध विविधता की रंग बिरंगी झलक प्रदान करते हैं। बहुत सारी विषय वस्तुओं को शामिल करते हुए ये डाक टिकट महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, मशहूर व्यक्तित्वों और संस्थानों के योगदानों

और खेल-कूद, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे विविध क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों को भी दर्शाते हैं। ये डाक टिकट बहुत लोकप्रिय हैं।

नेशनल फिलेटली म्यूजियम, नई दिल्ली डाक टिकटों के संग्रह की गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। डाक टिकटों की विषय वस्तु आधारित प्रदर्शनी महात्मा गांधी को समार्पित 'महात्मा गांधी पर एक नजर' (रिट्रोस्पेक्ट ऑन महात्मा गांधी) से शुरू की गयी, जो इस तरह का प्रथम प्रयास था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन विख्यात गांधीवादी निर्मला देशपांडे ने किया था। भारत और विदेशों में बापू को समर्पित डाक टिकटों को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया था। इस अवसर पर इस फिलेटेलिक म्यूजियम (डाक टिकट संग्रहालय) में सिक्के और उपहार आरंभ किये गए। डाक टिकटों के छायाचित्र शीशे पर चमक रहे थे और उन्हें खूबसूरती के साथ फ्रेम किया गया था। इसने जनता की रूचि को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान किया। इसी प्रकार कीमती पत्थरों और आभूषणों पर डाक टिकटों की संगमरमर पर सुन्दर प्रतिलिपियां बनायी गयी थीं। खादी के कपड़े पर महात्मा गांधी के चित्र की काफी सराहना हुई। ये सभी चीजें राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस विभाग ने भारत के विलुप्त प्राय पक्षियों, हिमालय की झीलों और बाल दिवस पर डाक टिकटों को जारी करने के साथ इस वर्ष के दौरान दूसरे फिलेटेलिक उत्पाद मैक्सिम कार्ड को पुनर्जीवित किया।

विशेष उत्सव वाले डाक टिकटों, लघु चित्रों, प्रथम दिवस आवरणों, सूचना पत्रों, पोस्टकार्डों और मैक्सिम कार्डों जैसे डाक टिकट संग्रह वाले उत्पाद देश भर में 68 फिलेटेलिक ब्यूरो और 881 फिलेटेलिक काउंटरों पर उपलब्ध हैं।

वित्तीय सेवाएं

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक : पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (पीओएसबी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की लघु बचत स्कीमों को एक एजेंसी के आधार पर क्रियान्वित करता है। पीओएसबी अपने वर्तमान स्वरूप में वैसे छोटे निवेशकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है जो व्यावसायिक बैंकों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। पीओएसबी देश भर में फैले 1.54 लाख से भी अधिक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। पीओएसबी का ग्रामीण नेटवर्क बढ़कर 1,38,529 शाखाओं तक हो गया है। वर्तमान में पीओएसबी द्वारा चलायी जा रही स्कीमें हैं—बचत खाता स्कीम, आवर्ती जमा स्कीम, सावधि जमा स्कीम, (1,2,3, और 5 वर्ष), मासिक आय स्कीम, लोक भविष्य निधि स्कीम, किसान विकास पत्र स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII) और वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम-2004।

मनीऑर्डर : मनीऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया आदेश है जो पोस्ट ऑफिस की एजेंसी के माध्यम से रुपये के भुगतान के लिए दिया जाता है। एक मनीऑर्डर के अन्तर्गत अधिकतम 5000 रुपये की राशि के भुगतान का आदेश जारी किया जा सकता है। यह सेवा देश के कोने-कोने में फैले 1.5 लाख से भी अधिक पोस्ट ऑफिसों में उपलब्ध है। इससे ग्राहक भारत में कहीं भी आसानी से और बिना किसी परेशानी के अपना रुपया भेज सकते हैं और अपने घरों में प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य नई वित्तीय सेवाएं

अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सेवा (अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा) : यह सेवा बहुराष्ट्रीय कंपनी, वेस्टर्न यूनियन फायनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल, के सहयोग से ग्राहकों को 205 देशों और क्षेत्रों से एक वास्तविक समय के आधार पर भेजे गए रुपये को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा

8565 से भी अधिक पोस्ट ऑफिसों में उपलब्ध है। यह सेवा ऐसे आम आदमी को विदेश में रहने वाले अपने संबंधियों और परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए रुपयों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है जिनका कोई बैंक खाता नहीं है, जिनको इंटरनेट की सुविधा नहीं है और विदेश में रहने वाले अपने लोगों द्वारा भेजे गए रुपये को प्राप्त करने का और कोई जरिया नहीं है। इस विभाग ने वर्ष 2004 और 2005 में 'लेन-देन में सर्वाधिक विकास' के लिए पुरस्कार प्राप्त किया था।

तत्काल मनीआर्डर (आईएमओ) : यह एक ऑन लाइन घरेलू मनी ट्रांसमिशन सेवा है जिसका उद्देश्य बाजार में ग्राहकों को उनके लिए भेजे गए रुपयों को उसी क्षण रुपया उपलब्ध कराया जाए। इस सेवा के द्वारा ग्राहक आईएमओ सेवा प्रदान करने वाले किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिनटों में रुपया प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा 20 जनवरी, 2006 को शुरू की गयी थी। इस सेवा के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक बार में 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की रकम भेज सकता है। इस रकम को 16 अंकों वाले आईएमओ संख्या और फोटो पहचान पत्र भारत के किसी भी आईएमओ पोस्ट ऑफिस (बुकिंग वाले पोस्ट ऑफिस को छोड़कर) में दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में यह सेवा देश भर में 400 से भी अधिक पोस्ट ऑफिस में प्रदान की जा रही है। इस सेवा का और विस्तार किया जा रहा है।

पोस्टल फायनेंस मार्ट्स : पिछले दशक में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के साथ डाकघरों ने ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं देने का प्रस्ताव किया। इनमें एक ही स्थान पर डाक वित्त सेवाएं देने की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुसार लघु बचत सेवाएं देना भी शामिल है। अनुमान लगाया गया है कि उस माहौल को बदले जाने की जरूरत है जिसमें वित्त सुपर मार्केट की एक ही छत के नीचे सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक ही स्थान पर कंप्यूटरीकृत ढंग से बचत प्रमाण पत्र, डाक जीवन बीमा, मनीऑर्डर जैसे घरेलू धन अंतरण, किसान विकास पत्र, मासिक आय स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, गैर-जीवन भगीदारी बांड, सिक्यूरिटीज, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण और म्यूचुअल फंड आदि निजी/सार्वजनिक भागीदारी वाले उत्पाद दिये जाने की व्यवस्था की जाए।

म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों का वितरण : 31 मार्च, 2007 तक म्यूचुअल फंड अयोग तेजी से बढ़कर 3,26,3888 करोड़ का हो गया है। फरवरी 2001 से करीब 250 डाकघरों का विस्तारशील नेटवर्क कुछ चुने हुए म्यूचुअल फंडों और बांडों (प्रिंसिपल/प्रूडेंशियल-आईसीआईसीआई/एसबीआई/यूटीआई,पीएनबी) का वितरण कर रहा है। सितंबर, 2004 में इस विभाग ने म्यूचुअल बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी यूटीआई म्यूचुअल बांड के साथ गठजोड़ कर लिया। इस प्रकार न सिर्फ देश की पूंजी का दायरा बढ़ा है बल्कि आम आदमी को शेयर बाजार आधारित निवेश का विकल्प भी उपलब्ध हो गया है।

पीओएसबी खाता धारकों को ओरिएंटल दुर्घटनावश मृत्यु बीमा : इस विभाग ने ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ गठबंधन किया है और यह मामूली प्रीमियम अदा करने वाले बचत खाता धारकों को दुर्घटनावश मृत्युबीमा अनुरोध के आधार पर प्रदान कर रहा है। यह स्कीम संपूर्ण वर्ष के लिए सिर्फ 15 रुपये की प्रीमियम पर एक वर्ष के लिए एक लाख रुपये की बीमा प्रदान करता है। ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में यह स्कीम काफी लोकप्रिय है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : भारत सरकार ने सितंबर 2005 में इस अधिनियम को लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक घर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से

कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। 2 फरवरी, 2006 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 27 राज्यों में चुने गये 200 जिलों में शुरू किया। इस अधिनियम की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से की गयी जिसका उद्देश्य कुशल/ अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों को मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश के पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सर्किल ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पोस्ट ऑफिस ने मजदूरों को पोस्ट ऑफिस बचत खातों के माध्यम से सप्ताह में या दो सप्ताह में एक बार पारिश्रमिक का वितरण किया। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के और चार सर्किलों के 49 जिलों में शुरू किया गया है।

ईसीएस स्कीम : यह बैंकों/कंपनियों/कार्पोरेशनों/सरकारी विभाग द्वारा ब्याज/वेतन/पेंशन/कमीशन/डिवीडेंड/रिफंड के आवधिक (मासिक/त्रै-मासिक/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक) भुगतान जैसे प्रचुर लेन-देन का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है। यह स्कीम 15 ऐसे केंद्रों में चल रहा है जहां भारतीय रिज़र्व बैंक इसका प्रबंधन देख रहा है और 31 ऐसे केंद्रों में चल रहा है जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर इनका प्रबंधन देख रहा है।

मासिक आय स्कीम के अंतर्गत मासिक ब्याज के भुगतान के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी 15 स्थानों में डाक विभागों में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग स्कीम उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र का डीमैटरलाइजेशन : अक्टूबर 2003 में इस विभाग ने वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद और एमओसी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मंजूरी के बाद एक छमाही पायलट परियोजना शुरू करने के लिए एक कदम उठाया। यह छमाही पालयट परियोजना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र/किसान विकास पत्र के डीमैटरलाइजेशन विषय पर इससे संबंधित प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गयी थी। यह प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2003 को मुंबई के 10 पोस्ट ऑफिसों में शुरू की गयी थी और इसके बाद 12 फरवरी, 2004 को 25 और पोस्ट ऑफिसों में इसका विस्तार किया गया था।

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1884 में डाक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कल्याण के उपाय के तौर पर की गई थी। कालांतर में केंद्र/राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों तथा डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए इसका विस्तार किया गया।

डाक जीवन बीमा के अंतर्गत छह योजनाएं हैं : 1. सुरक्षा (जीवन भर का बीमा), 2. सुविधा (परिवर्तनीय जीवन भर के लिए बीमा), 3. संतोष (इंडोवमेंट बीमा), 4. सुमंगल (पूर्वानुमानित इंडोवमेंट बीमा), 5. युगल सुरक्षा (दंपतियों के लिए संयुक्त इंडोवमेंट बीमा) और 6. बाल बीमा। मार्च, 2006 तक चालू पालिसियों की संख्या 30,98,248 थी।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत 24 मार्च, 1995 को की गई थी। डाक जीवन बीमा की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों को कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना था। इसे अब स्थायी आधार पर चलाने की अनुमति दे दी गई है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत छह तरह की योजनाएं हैं : 1. ग्राम सुरक्षा (जीवन भर का बीमा), 2.

ग्राम सुविधा (परिवर्तन की सुविधा के साथ जीवन भर का बीमा), 3. ग्राम संतोष (इंडोवमेंट बीमा), 4. ग्राम सुमंगल (पूर्वानुमानित इंडोवमेंट बीमा), 5. ग्राम प्रिय (10 वर्षीय पूर्वानुमानित इंडोवमेंट बीमा), 6. बाल बीमा। मार्च 2006 तक चालू पॉलिसियों की संख्या 47,02,776 थी।

ग्राहक सेवा

जनता की शिकायतें निपटाने के लिए डाक विभाग की 1948 से ही सुव्यवस्थित प्रणाली है। इस समय जिला मुख्यालय/मंडलीय मुख्यालय स्तर पर 1,116 कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र हैं। देश के सभी मुख्य डाकघर इस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं और इसका उद्देश्य जनता की शिकायतें निपटाने के साथ-साथ ग्राहकों द्वारा वांछित सूचना तथा सहायता शीघ्रता तथा आसानी से उपलब्ध कराना है। प्रत्येक डाकघर शिकायत प्राप्ति केंद्र का कार्य करता है जिससे यह प्रणाली ग्राहकों के लिए आसानी से सुलभ हो जाती है। 2001 से डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए शिकायतों को www.indiapost.gov.in पर आन लाइन दर्ज कराने की प्रणाली प्रारंभ की है और 2003 से इसने शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए वैब आधारित प्रणाली का विकास किया है। विभाग अपना नागरिक अधिकार पत्र देश के सभी प्रमुख डाकघरों में एक मिशन के तौर पर लागू कर रहा है। विभाग ने व्यक्तिगत दौरों, टेलीफोन संदेशों और प्रश्नावलियों के माध्यम से भी ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है।

भारतीय डाक विभाग ने ग्राहकों के प्रति अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 'सर्वोत्तम' नामक लोक सेवा डिलीवरी उत्कृष्टता माडल के क्रियान्वयन का कदम उठाया है। इस सर्वोत्तम माडल का विकास प्रशासनिक सुधार व जन शिकायतों के विभाग द्वारा किया गया और इसका समर्थन सेवा गुणवत्ता प्रंबंधन तंत्र मानक आई एस 15700: 2005 द्वारा किया गया। नई दिल्ली के जनरल पोस्ट ऑफिस और राजस्थान के अलवर के हेड ऑफिस को आवश्यक निर्देशों का पालन करने के उपरांत 'सर्वोत्तम' प्रमाणपत्र के लिए चुना गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अतिरिक्त विभाग के अंतर्गत भी भारतीय डाक आम जनता को एक सेवा प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत सूचना अधिकार के लिए आवेदनों को जिला/उपजिला स्तरीय डाकघरों में जमा किया जा सकता है। इस प्रकार के आवेदनों को अविलंब संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों को भेज दिया जाता है। वर्तमान में यह सेवा 629 जिला स्तरीय और 3000 तहसील स्तरीय डाकघरों में उपलब्ध है और केंद्र सरकार के 120 सार्वजनिक प्राधिकरणों में उपलब्ध है।

दूरसंचार

टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार के तुरंत बाद ही भारत में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत हो गई थी। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में परियात के लिए चालू हुई। मार्च 1884 तक आगरा से कोलकाता को तार संदेश भेजे जा सकते थे। 1900 तक भारतीय रेलवे में टेलीग्राफ और टेलीफोन का उपयोग होने लगा था। टेलीग्राफ की ही तरह टेलीफोन सेवा की शुरुआत भी 1881-82 में टेलीफोन के आविष्कार के सिर्फ छह साल बाद कोलकाता में हुई। 700 लाइनों की क्षमता वाला पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज 1913-14 में शिमला में चालू किया गया।

स्वतंत्रता के बाद देश में दूरसंचार सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है, जबकि इसमें सुधार के कई उपाय किए गए। इनमें 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा शामिल है, जिसके अंतर्गत

कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पारिभाषित किया गया। इनमें मांगपर टेलिफोन उपलब्ध कराना, उचित मूल्यों पर विश्वस्तरीय सेवाओं का प्रावधान, भारत को दूरसंचार उपकरणों के प्रमुख उत्पादन/निर्यात बेस के रूप में उद्‌भव को सुनिश्चित करना और सभी गांवों में बेसिक टेलिफोन सुविधा सर्वसुलभ कराना शामिल था। 1997 में एक स्वतंत्र नियामक-टेलिकॉम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1999 में नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गयी, जिसमें इस क्षेत्र के विकास के लिए सक्षमता ढांचा तैयार करने, भारत को आईटी सुपरपॉवर बनाने के स्वप्न को साकार करने और देश में विश्व स्तरीय दूरसंचार ढांचा विकसित करने पर बल दिया गया।

तब से नागरिकों को सुलभ और प्रभावी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के स्वप्न की प्राप्ति की दिशा में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने काफी रास्ता तय किया है। इसके परिणामस्वरूप आज आम आदमी की पहुंच इस अतिआवश्यक सुविधा तक है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी बचे हुए क्षेत्रों में सार्वभौम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार बड़े प्रयास किये जा रहे हैं। महत्व के अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं— एक आधुनिक और सक्षम दूरसंचार ढांचा खड़ा करना, सभी हितधारियों के लिए एक समान कार्यक्षेत्र और समान अवसरों सहित अधिकाधिक प्रतियोगी वातावरण के जरिए दूरसंचार क्षेत्र में बदलाव, देश में अनुसंधान और विकास प्रयासों को सुदृढ़ करना, स्पैक्ट्रम प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता प्राप्त करना और भारतीय दूरसंचार कंपनियों को सही मायने में वैश्विक आधार देना।

दूरसंचार विभाग की सक्रिय नीतियों और सुधार के उपायों ने दूरसंचार क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित की है। आज 30 करोड़ से अधिक कनेक्शनों के साथ भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। देशभर के दूरसंचार उद्योग के लिए भारत एक प्रमुख बेस के रूप में उभरा है और सरकार का प्रयास इस महत्वपूर्ण उद्योग के विकास को सुविधा प्रदान करना है क्योंकि इस क्षेत्र के विकास से पूरी अर्थव्यवस्था पर 'गुणात्मक प्रभाव' पड़ता है।

दूरसंचार की प्रगति के ढांचे और प्रकार में मोबाइल एवं फिक्स्ड टेलीफोनों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में बृहद बदलाव आया है। वायरलेस सेवाओं की प्रगति उल्लेखनीय रही है, जबकि वर्ष 2003 से इसके उपभोक्ताओं की संख्या 87.7% वार्षिक की समग्र दर से बढ़ी है। आज, देश में न केवल वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या वायरलाइन उपभोक्ताओं से कहीं अधिक है, बल्कि यह कहीं ज्यादा गति से बढ़ रही है। वायरलेस फोनों का हिस्सा मार्च, 2003 के 24.3% से बढ़कर मार्च, 2008 में 86.88% हो गया। सस्ते वायलेस फोनों की सुलभता में सुधार ने इनके सार्वभौम पहुंच के उद्देश्य को संभव बना दिया है।

सरकार के उदारीकरण के प्रयास दूरसंचार कनेक्शनों में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी में स्पष्ट दिखते है, जो 1999 के मात्र 5% से बढ़कर मार्च, 2008 में 73.5% हो गई है।

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क में 30.049 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन शामिल है। देश में 26.108 करोड़ वायरलेस फोन उपभोक्ता हैं और ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 80 लाख प्रतिमाह से अधिक की दर से बढ़ रही है।

ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था को बढ़ावा और दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीफोन की पहुंच बढ़ाना विभाग के मुख्य कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अच्छी तरह माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का अच्छी तरह फैला संजाल लोगों की बाजार अर्थव्यवस्था में भागीदारी की क्षमता को बढ़ाता है, जो आगे चलकर उनकी उत्पादकता में सुधार लाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करता है।

मार्च, 2008 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 9.46% घनत्व सहित 765 लाख टेलीफोन हैं और इन क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की रणनीति मुख्यतया बाजार व्यवस्था के जरिए लाभकारी क्षेत्रों में और गैरलाभकारी क्षेत्रों में 'सर्वत्र सेवा दायित्व कोष' के जरिए टेलीफोनों के प्रावधान के आसपास घूमती है। जहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन और ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन आमजन तक पहुंच उपलब्ध कराएंगे, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए सर्वत्र सेवा दायित्व कोष के अंतर्गत ग्रामीण सामुदायिक फोनों की एक योजना शुरु की गयी है।

सकल घेरलु उत्पाद में वृद्धि और ज्ञान आधारित समाज के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में ब्रॉडबैण्ड सेवाओं की क्षमता को पहचानते हुए अक्तूबर, 2004 में घोषित ब्रॉडबैण्ड नीति के अंतर्गत 2010 के अंत तक 2 करोड़ ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं का परिदृश्य संकल्पित किया गया है। ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों में सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

गांवों में ब्रॉडबैण्ड सेवाएं लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2007 को 'ब्रॉडबैण्ड वर्ष' नामित किया गया। 31 मार्च, 2008 तक कुल 38.1 लाख ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ता हैं जो 31 मार्च, 2008 के 1.8 लाख के मुकाबले महती वृद्धि है।

त्वरित नेटवर्क विस्तार के लिए बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में दूरसंचार क्षेत्र की प्रगति के लिए निवेशक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया गया है। अप्रैल, 2000 से मार्च, 2008 तक दूरसंचार क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 16747 करोड़ रुपये रहा है जो इस अवधि के दौरान देश में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 6.81% है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उज्जवल भविष्य है। आज यह सेवाओं (वित्तीय एवं गैर वित्तीय) और कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के पश्चात् तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला क्षेत्र है, यह दोनों क्षेत्र क्रमश: 22.64% और 13.07% हिस्सा पाते हैं।

सरकार सधे कदमों से वाणिज्यिक दूरसंचार आपरेटरों के लिए सरकारी उपयोग में से अतिरिक्त स्पैक्ट्रम जारी करने की दिशा में काम कर रही है ताकि इस गतिशील क्षेत्र की प्रगति इस महत्वपूर्ण संसाधन की कमी से बाधित न हो। सरकार आगे देखने के दृष्टिकोण को भी पहचानती है जो बदलती प्रौद्योगिकी की समझ और दूसरे देशों के रूझान के अनुसार इस क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तनों को गति देने पर आधारित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरी अर्थव्यवस्था में तेज प्रगति को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इन सेवाओं की गुणवत्ता और लागत एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल हो।

दूरसंचार क्षेत्र में नियामक ढांचा

1997 के प्रारंभ में दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और उससे संबद्ध अथवा उससे उत्पन्न मुद्दों का विनियमन करना था, दूरसंचार के क्षेत्र में उदारीकरण तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी और सभी आपरेटरों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए विनियामक की स्थापना आवश्यक समझी गई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, में 2000 के प्रारंभ में किए गए संशोधनों के माध्यम से नियामक ढांचे तथा विवाद निपटाने की प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। नियामक

(टीआरएआई) की भूमिका तथा कार्यों में स्पष्टता लाने के साथ ही इसे कुछ अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए। विवादों के शीघ्रता से निपटान के लिए दूरसंचार विवाद निवारण तथा अपील न्यायाधिकरण का भी गठन किया गया। भारत सरकार की 9 जनवरी, 2004 की एक अधिसूचना के जरिए प्रसारण तथा केबल सेवाएं भी दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाई गई हैं।

शुल्क दर पुनर्युक्तिसंगत उपाय

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप शुल्क ढांचों में व्यापक परिवर्तन कर दिया गया है। विनियामक (टीआरएआई) द्वारा जारी दूरसंचार शुल्क आदेश (टीटीओ)1999 से मासिक किराये में वृद्धि और एसटीडी व आईएसडी शुल्क में कमी के साथ ही शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। टीटीओ 1999 के माध्यम से एनएसडी और आईएसडी शुल्क में भारी कमी आयी है। सेल्यूलर फोन के मामले में भी शुल्क दरें काफी कम हुई हैं और कॉल करने वालों द्वारा भुगतान (सीपीपी) की प्रणाली पहले से ही लागू है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण लगातार शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास, शुल्कों की समीक्षा, में लगा है जिससे शुल्क में और अधिक संतुलन लाया जा सकेगा। प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नयी पहल की हैं उनमें इंटरकनेक्शन यूजर चार्जेज़ के बारे में आदेश जारी करना, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी, विभिन्न सर्किल्स में बेसिक और सेल्यूलर सेवाओं की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानदंडों का एक स्वतंत्र एजेंसी से सर्वेक्षण कराना आदि शामिल हैं।

ग्रामीण संचार सेवक योजना (जीएसएस)

ग्रामीण संचार सेवक गांवों में अपने वितरण क्षेत्र के लोगों को घर-घर जाकर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए चलता फिरता टेलीफोन (मोबाइल फिक्स्ड वायरलैस टर्मिनल) साथ होता है। यह योजना एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के वर्तमान फ्रेंचाइजी की ही शर्तों पर चल रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा तथा पंजाब जैसे टेलीफोन की पर्याप्त सुविधाओं वाले सर्किलों को छोड़कर यह योजना देश भर में लागू है। 31.5.2008 को देश भर के करीब 11,792 गांवों में 2,668 ग्रामीण संचार सेवकों के माध्यम से टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जीएसएस को बाहर की जाने वाली कॉल्स पर 20 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। ग्रामीण संचार सेवक गांव में किसी व्यक्ति को टेलीफोन संदेश पहुंचाने के लिए 5 रुपए ले सकता है।

सर्वत्र सेवा दायित्व धनराशि

सर्वत्र सेवा समर्थन नीति 1 अप्रैल, 2002 से लागू हुई। इसे कानूनी दर्जा देने वाला भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 2003 में पारित किया। यह कोष मानित रूप से 1 अप्रैल, 2002 में अस्तित्व में आ गया। दूरसंचार विभाग द्वारा सर्वत्र सेवा समर्थन हेतु 27 मार्च 2002 को नीति हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिन्हें दूरसंचार विभाग (डोट) की वेबसाइट www.dot.gov.in पर दर्शाया गया। इसका इस्तेमाल सर्वत्र सेवा उत्तरदायित्व पूरा करने में किया जाएगा। इस समय सर्वत्र सेवा लेवी की दर 5 प्रतिशत है जो इंटरनेट, वायस मेल, ई मेल जैसी शुद्ध सेवा प्रदाताओं के अलावा अन्य सभी सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व पर लगती है। इस कोष में राशि संसद के अनुमोदन से आती है। इस कोष में वित्त वर्ष के अंत में शेष राशि समाप्त नहीं होती। इस कोष के नियमों को 26 मार्च, 2004 को अधिसूचित किया गया। इन नियमों के अनुसार निम्नलिखित सेवाओं को इस कोष से सहायता मिलेगी :

देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में संशोधन लाने के लिए भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अध्यादेश 2006 के रूप में 30.10.2006 को एक अध्यादेश की घोषणा की गई थी। इसके बाद भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन लाने के लिए 29.12.2006 को एक अधिनियम पारित कर लिया गया। इस अध्यादेश, भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम 2006 के अंतर्गत कोष के प्रशासन के लिए नियम 17.11.2006 को प्रकाशित कर दिये गए हैं। भारतीय टेलीग्राफ नियमों को जुलाई, 2008 में संशोधित करते हुए एक्सेस डेफिसिट चार्ज (एडीसी) के स्थान पर वर्तमान फिक्स्ड वायरलाइन ग्रामीण टेलिफानों के लिए समर्थन उपलब्ध कराया गया है।

यूएसओ के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों को सर्वत्र सेवा शुल्क (यूएसएल) के माध्यम से एकत्रित किया जाता है जिसे इंटरनेट, वायसमेल, ई-मेल सेवा प्रदानकर्त्ताओं जैसे सिर्फ मूल्य संवर्धित सेवा प्रदानकर्त्ताओं को छोड़कर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5 प्रतिशत तय किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार अनुदान एवं ऋण भी प्रदान कर सकती है।

यूएसओ फंड का प्रधान यूएसएफ नामक एक प्रशासन होता है। उसके पास यूएसओ के क्रियान्वयन एवं यूएसओएफ से कोष के वितरण के लिए प्रक्रियाओं के निर्माण की शक्तियां होती हैं।

यूएसओ प्रक्रियाएं

नियमों के अनुसार कोष के द्वारा निम्नलिखित सेवाओं को समर्थन प्रदान किया जाता है:-

स्ट्रीम-I: सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना सेवाओं का प्रावधान—

(क) ''1991 की जनगणना में चिह्नित राजस्व गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफान का संचालन और अनुरक्षण तथा अतिरिक्त राजस्व गांवों में सार्वजनिक ग्राम टेलीफोनों की स्थापना।''

1991 की जनगणना में चिह्नित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की स्थापना के लिए केवल इसे चलाने के खर्च और राजस्व को कुल लागत के निर्धारण में शामिल किया जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार चिह्नित किये गए अतिरिक्त राजस्व गांवों के लिए पूंजी वसूली को भी कुल लागत के निर्धारण में शामिल किया जाएगा।

1991 की जनगणना में चिह्नित जिन ग्रामों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की स्थापना अभी भी की जानी है, उनके लिए कुल लागत के निर्धारण में पूंजी वसूली को भी शामिल किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात क्षेत्रों में अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक फोनों का प्रावधान :

उन गांवों में जिनकी आबादी 2000 से ज्यादा है लेकिन वहां सार्वजनिक टेलीफोन नही है, एक अन्य सार्वजनिक फोन की स्थापना की जाएगी और कुल लागत के निर्धारण में कुल लागत, पूंजी वसूली, चलाने का खर्च एवं राजस्व को शामिल किया जाएगा।

(ग) 1 अप्रैल 2002 से पहले स्थापित किये गए मल्टी-एक्सेस रेडियो रिले टेक्नोलॉजी ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों की जगह नए फोन लगाना।

पूंजी की वसूली, चलाने का खर्च और राजस्व को कुल लागत के निर्धारण में शामिल किया जाएगा।

नोट—जब तक सरकार कोई अन्य निर्देश न दे, स्ट्रीम-1 के (क) और (ग) भाग में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं की कुल लागत पर पहुंचने के उद्देश्य के लिए सेकंडरी स्वीचिंग एरिया को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

स्ट्रीम-II: ''समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा तय किये गए ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में घरेलू फोनों का प्रावधान।''

(क) 1 अप्रैल 2002 के पहले स्थापित घरेलू डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स के लिए ग्रामीण ग्राहकों से लिये जाने वाले वास्तविक किराये और भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के द्वारा ऐसे ग्राहकों के लिए निर्धारित किराये के बीच के अंतर को तब तक भुगतान होता रहेगा जब तक कि भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एक्सेस डेफिसिट शुल्क के अंतर्गत ऐसे अंतर को शामिल न कर लिया जाए।

(ख) 1 अप्रैल 2002 के बाद स्थापित किये गए घरेलू डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों के लिए कुल लागत के निर्धारण में पूंजी की वसूली, चलाने का खर्च और राजस्व को शामिल किया जाएगा।

जब तक केन्द्र सरकार अन्य निर्देश न दे, सॉर्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया को स्ट्रीम-II के (ख) भाग में वर्णित प्रक्रियाओं के लिए कुल लागत पर पहुंचने के लिए एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

स्ट्रीम-III: ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए बुनियादी तंत्र का निर्माण।

(क) मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी का निर्धारण केन्द्र सरकार बीच-बीच में करेगी।

(ख) कुल लागत तय करने के लिए मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए पूंजी वसूली का एक प्रतिशत भी शामिल किया जाएगा।

स्ट्रीम-IV: गांवों में चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान।

कुल लागत को तय करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए पूंजी वसूली के एक प्रतिशत को शामिल किया जाएगा।

स्ट्रीम-V: ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण।

(क) विकास के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं की चीजों का केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारण।

(ख) कुल लागत को तय करने के लिए सामान्य बुनियादी तंत्र के विकास के लिए पूंजी वसूली के एक प्रतिशत को भी शामिल किया जाएगा।

जब तक केन्द्र सरकार अपने निर्देशों में परिवर्तन न करे, स्ट्रीम III, IV और V में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के कुल लागत निकालने के उद्देश्य के लिए राजस्व जिलों के राजस्व जिले/समूहों को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

स्ट्रीम-VI: ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकास का समागम।

दूरसंचार क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकास को स्थापित करने के लिए ऐसी पायलट परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की मंजूरी के साथ समर्थन दिया जा सकता है जिनको ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में चलाया जा सकता है।

'सर्वत्र सेवा कोष' गतिविधियों की कार्यान्वयन स्थिति

सार्वजनिक पहुंच

जनगणना 1991 के अनुसार पहचाने गए राजस्व ग्रामों में वर्तमान ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) के संचालन और रखरखाव के लिए मार्च, 2003 में बीएसएनएल और छह निजी बेसिक सेवा प्रदाताओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इसके अतिरिक्त जनगणना 2001 के अनुसार अन्य राजस्व ग्रामों में वीपीटी की स्थापना हेतु राजसहायता भी उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 529997 वीपीटी संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता के अर्ह हैं (बीएसएनएल : 521284, निजी : 8713)। इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गये वीपीटी शामिल हैं।

एक सौ से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने जंगलों में स्थित और अलगाववाद प्रभावित गांवों को छोड़कर जनगणना 1991 के अनुसार बचे हुए 66822 गांवों में वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता देने हेतु नवंबर, 2004 में बीएसएनएल के साथ समझौते हस्ताक्षरित किये गये। इनमें से 14183 वीपीटी उपग्रह आधारित माध्यम पर और बचे हुए 52639 अन्य प्रौद्योगिकियों पर उपलब्ध कराने थे। किंतु कुछ ऐसे वीपीटी जिन्हें प्रारंभ में डीएसपीटी पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था, उन्हें नेटवर्क विस्तार के चलते इन गांवों में अब उपलब्ध वायरलेस कवरेज के जरिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब लगभग 5,000 दूरदराज के गांवों को उपग्रह के जरिए वीपीटी उपलब्ध कराया जाएगा। इन गांवों में वीपीटी का प्रावधान भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत एक गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। 30.6.2008 तक बीएसएनएल द्वारा 54635 वीपीटी उपलब्ध करा दिये गए हैं। बाकी वीपीटी दिसंबर, 2008 तक चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे।

30.6.2008 तक वीपीटी सुविधा प्राप्त गांवों की राज्यवार संख्या नीचे दर्शायी गयी है:-

क्रम संख्या	सेवा क्षेत्र का नाम	बाकी गांवों की कुल संख्या	दिये गये वीपीटी
1.	अंडमान व निकोबार	0	0
2.	आंध्रप्रदेश	1074	671
3.	असम	8931	8673
4.	बिहार	0	0
5.	झारखंड	1694	1504
6.	गुजरात	4144	4048
7.	हरियाणा	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1002	914
9.	जम्मू कश्मीर	1755	1379
10.	कर्नाटक	0	0
11.	केरल	0	0
12.	मध्यप्रदेश	11894	11808
13.	छत्तीसगढ़	5043	3325
14.	महाराष्ट्र	6441	5946

15.	उत्तर पूर्व-1	2128	440
15 A.	मेघालय-(उ.पू.-I)	1957	311
15.B.	मिजोरम -(उ.पू.-I)	96	60
15 C.	त्रिपुरा-(उ.पू.-I)	75	69
16 A.	उत्तरपूर्व-2	1550	811
16 A.	अरूणाचल प्रदेश-(उ.पू.-II)	646	285
16 B.	मणिपुरा-(उ.पू.-II)	876	507
16 C.	नागालैंडा-(उ.पू.-II)	28	19
17.	उड़ीसा	4899	1643
18.	पंजाब	0	0
19.	राजस्थान	12386	11291
20.	तमिलनाडू	0	0
21.	उत्तरप्रदेश (पूर्व)	0	0
22.	उत्तरप्रदेश (पश्चिम)	0	0
23.	उत्तराखंड	3881	2182
24.	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	66822	54635

01.04.2002 से पूर्व स्थापित और मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रौद्योगिकी के कारण पहले से गैर-कार्यरत 1,82,766 वीपीटी को बदलने के लिए बीएसएनएल से समझौते किए गए। जून, 2008 तक बीएसएनएल द्वारा कुल 1,80,988 वीपीटी बदले जा चुके हैं, बाकी को दिसंबर, 2008 तक बदले जाने की संभावना है।

2000 से अधिक जनसंख्या मगर सार्वजनिक टेलिफोन सुविधा से वंचित गांवों में 43,409 ग्रामीण सामुदायिक फोन (बीएसएनएल :21,978, आरआईएल : 21,431) उपलब्ध कराने के लिए 30.09.2004 को समझौते किए गए। इनमें से जून, 2008 तक 39,285 ग्राम सामुदायिक फोन (बीएसएनएल : 21,945, आरआईएल : 17340) उपलब्ध कराए जा चुके हैं बाकी फोन दिसंबर, 2008 तक लग जाने की संभावना है।

व्यक्तिगत पहुंच

01.04.2002 से पूर्व स्थापित लगभग 90.5 लाख ग्रामीण घरेलु डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों (आरडीईएल) को टीआरएआई द्वारा निर्धारित दरों और सेवा प्रदाता द्वारा वसूली जा रही दर के अंतर के भुगतान हेतु सहायता प्रदान की गई। यह सहायता 01.04.2002 से 31.1.2004 तक की सीमित अवधि के लिए थी। 01.04.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले आरडीईएल के लिए मार्च, 2005 में बीएसएनएल, आरआईएल, टीटीएल और टीटीएल (एमएच) के साथ समझौते हस्ताक्षरित किए गए। यह आरडीईएल ऐसे 1685 कम दूरी के चार्च क्षेत्रों (एसडीसीए) में लगाए जाने थे (बीएसएनएल : 1267, आरआईएल : 203, टीटीएसएल : 172, टीटीएमएल : 43) जहां टेलिफोन कनेक्शन देने का खर्च उससे प्राप्त राजस्व से अधिक पड़ता था। 30.06.2008 तक इस स्कीम के तहत यूएसओ कोष की राजसहायता से लगभग 4094769 आरडीईएल (बीएसएनएल :

1363734, आरसीएल : 1340454, टीटीएसएल : 1015191, टीटीएमएल : 375390) स्थापित किए जा चुके हैं।

01.04.2002 और 31.03.2005 की अवधि के दौरान पात्र अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों में संस्थापित लगभग 18,65,690 ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों [बीएसएलएल :1826923, आरआईएल : 38767] के लिए थी उसी नमूना दर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके संबंध में मई, 2005 और अगस्त, 2005 में बीएसएनएल और मै. आरआईएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना सहायता (चरण-I)

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा 27 राज्यों के 500 जिलों में अवस्थित उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, जिनमें स्थिर वायरलेस अथवा मोबाइल फोन की सुविधा नहीं है, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 7871 सरंचना स्थलों (टावरों) की संस्थापना और प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में एक स्कीम शुरू की गयी है। इस प्रकार सृजित अवसंरचना का मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझे में उपयोग किया जाएगा। मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार 01.06.2007 से लगू है। आशा है कि इन टावरों से मोबाइल सेवाएं चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2008 की समाप्ति तक शुरू हो जाएंगी। 30.06.2008 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 935 टावर स्थापित किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले टावरों की राज्य-वार संख्या नीचे गई है :-

क.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	टावरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	22	581
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	62
3.	असम	20	90
4.	बिहार	37	489
5.	छत्तीसगढ़	16	560
6.	गुजरात	4	66
7.	हरियाणा	8	14
8.	हिमाचल प्रदेश	11	295
9.	जम्मू व कश्मीर	12	178
10.	झारखंड	18	305
11.	कर्नाटक	26	427
12.	केरल	11	46
13.	मध्य प्रदेश	45	985
14.	महाराष्ट्र	33	1017
15.	मणिपुर	9	95
16.	मेघालय	7	102
17.	मिजोरम	8	71
18.	नागालैंड	7	56
19.	उड़ीसा	30	432
20.	पंजाब	3	13
21.	राजस्थान	32	411
22.	सिक्किम	3	8

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	टावरों की संख्या
23.	तमिलनाडु	27	371
24.	त्रिपुरा	4	147
25.	उत्तर प्रदेश	66	666
26.	उत्तराखंड	13	217
27.	पश्चिम बंगाल	16	167
	संपूर्ण भारत का जोड़	500	7871*

*टावरों की संख्या करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण और हासिल किए गए टेलीफोन सुविधा के लक्ष्य के आधार पर बदल सकती है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के योजनाधीन क्रियाकलाप

शेष गांवों में नए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना

2001 की जनगणना के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के संबंध में कराई गई दोबारा जांच के अनुसार, 50000 के लगभग अन्य सुविधारहित गांव हैं, जिन्हें अभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। ऐसे सुविधारहित गांवों को भी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त आर्थिक सहायता द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफान सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में जल्दी ही बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना सहायता (चरण-II)

देश में अन्य सुविधारहित क्षेत्रों को मोबाइल सेवाओं के माध्यम से सुविधायुक्त किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अतिरिक्त टॉवरों की पहचान की गई है। इस स्कीम के दूसरे चरण के अंतर्गत लगभग 11000 टॉवर संस्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2008-09 की दूसरी तिमाही में शुरू किए जाने की संभावना है।

01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें

ट्राई की सिफारिशों के आधार पर, 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के रखरखाव के लिए 18.07.2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए, बीएसएनएल को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय तार नियमावली (आईटीआर) में पहले ही संशोधन किया जा चुका है, जिसके लिए देश में 2000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की उच्चतम सीमा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड संयोजकता

ग्रामीण जनता को ई-गवर्नेंस एवं डाटा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध मौजूदा स्थिर और कोर अवसंरचना का उपयोग करते हुए चरणबद्ध रूप से देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संयोजकता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव भी सरकार के विचारधीन है। यह प्रस्ताव है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ग्राम पंचायतों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा स्थापित साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) में ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस और डाटा सेवाएं

उपलब्ध हों। इस स्कीम को चालू पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान चरणबद्ध ढंग से शुरू किए जाने की परिकल्पना है। इस स्कीम के अंतर्गत, 5000 ब्लॉकों को बेतार ब्रॉडबैंड द्वारा जोड़ा जाएगा और ऐसे संयोजन से तालुका/ब्लॉक मुख्यालयों के 10 कि.मी. के घेरे के अंदर आने वाले गांव सुविधायुक्त हो सकेंगे। प्रयोक्ता मंत्रालयों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, ग्राम पंचायत और गृह मंत्रालय को अपनी जरुरतों की योजना बनाने, अपेक्षित अवसरंचना तैयार करने और ब्लॉकवार गांवों की प्राथमिकता तय करने हेतु संपर्क किया गया है। जहां कहीं व्यवहार्य होगा, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि वायरलाईन ब्रॉडबैंड में भी सहायता देगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना जैसे आप्टिकल फाइबर केबल का सृजन

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम नेटवर्क से उनके कोर नेटवर्क में वॉयर और डाटा परियात को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त बैक-हाल क्षमता उपलब्ध कराने के मद्देनजर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए यूएसओएफ ने पहल की है। इस स्कीम में, शुरुआत में ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों के बीच ओएफसी नेटवर्क संवर्धन पर ध्यान दिया गया है। उपर्युक्त स्कीमों को चालू पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान चरणबद्ध रूप में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रायोगिक परियोजना

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना आधार पर दूरसंचार क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकीय गतिविधियों को शामिल करने के लिए, यूएसओएफ ने पात्र कंपनियों से ग्रामीण और टेलीफोन क्षेत्र में उनके उत्पादों/सेवाओं के प्रदर्शन के लिए प्रयोगिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए आवेदन मांगे हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान पांच प्रायोगिक परियोजनाओं को, प्रति परियोजना 50 लाख रु. की उच्चतम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

संवितरण और निधियों की उपलब्धता की स्थिति

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आरंभिक शेष	यूएसएल के रूप में संग्रहित निधियां	आबंटित और संवितरित निधियां	वर्ष के अंत में शेष
2002-03	0.00	1653.61	300.00	1353.61
2003-04	1353.61	2143.22	200.00	3296.83
2004-05	3296.83	3457.73	1314.59	5439.97
2005-06	5439.97	3533.29	1766.85	7206.41
2006-07	7206.41	4211.13	1500.00	9917.54
2007-08	9917.54	5405.46	1290.00	14033.00
2008-09	14033.00*	-	92.81 (30.06.2008 की स्थिति के अनुसार)	
कुल		20404.44	6464.25	

*वित्त मंत्रालय ने बाताया है कि उपलब्ध शेष पता लगाने के लिए, 2002-03 से 2005-06 के दौरान ग्रामीण दायित्व को पूरा करने के लिए बीएसएनएल के 6948 करोड़ रु. के लाइसेंस शुल्कों और स्पेक्ट्रम शुल्कों की प्रतिपूर्ति को भी हिसाब में लेना अपेक्षित है। बीएसएनएल की क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2008-09 की शुरुआत में उपलब्ध शेष 7085 करोड़ रु. (14033-6948) होगा।

बुनियादी टेलीफोन सेवा, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवाएं

बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लिए राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पदस्थ प्रचालक हैं। एमटीएनएल, दिल्ली और मुंबई दो महानगरों में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराता है। बीएसएलएल शेष भारत में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराता है।

विभिन्न सेवा क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 1996 से 2001 के बीच 78 सीएमटीएस लाइसेंस, एक सेवा क्षेत्र में अधिकतम चार लाइसेंस मंजूर किए गए थे।

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसिंग प्रणली नवंबर, 2003 में शुरू हुई थी और इसके लिए नई दूरसंचार नीति-1999 में भी संशोधन किया गया था। मौजूदा बुनियादी और सीएमटीएस लाइसेंसधारकों को यूएएस लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानांतरण के लिए पेशकश की गई थी। सभी अन्य बुनियादी सेवा प्रदाता यूएएस लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानांतरित हो गए हैं। तथापि, अभी तक 53 सीएमटीएस लाइसेंसधारी यूएएस लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानांतरित नहीं हुए हैं।

यूएएस लाइसेंसिंग के उद्देश्य से देश को 22 सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है। वर्तमान में, दिनांक 14.12.2005 के यूएएस लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत यूएएस लाइसेंसिंग प्रदान किए जाते हैं। यूएएस लाइसेंसों की मंजूरी के लिए, सेवा क्षेत्र के आधार पर आवेदक को 1 करोड़ से 233 करोड़ रु. के बीच का अप्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क अदा करना अपेक्षित है। वार्षिक लाइसेंस शुल्क राजस्व अंश के रूप में सेवा क्षेत्र के वर्ग के अनुसार देय है। यदि सेवा प्रदाता अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए बेतार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें वार्षिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, स्पेक्ट्रम शुल्क भी अदा करना होगा।

30 जून, 2008 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 325.78 मिलियन है, जिसमें 286.86 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता भी शामिल हैं। भारत में औसत टेलीघनत्व 28.33 है। देश में बुनियादी, सीएमटीएस और यूएएस सहित अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों की कुल संख्या 279 है। प्रत्येक सेवा क्षेत्र में यूएएस लाइसेंसधारकों की संख्या 12 से 13 के बीच है।

नेशनल लांग डिस्टेंस सर्विस (लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा)

लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा (एन एल डी) 13 अगस्त, 2000 से निजी क्षेत्र के लिए खोली गई। भारत में पंजीकृत ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपये और चुकता हिस्सा पूंजी 2.5 करोड़ रुपये है इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, आवेदक कंपनी में कुल विदेशी हिस्सा पूंजी पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी की इक्विटी में एनआरआई/ओसीबी/अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के निवेश को विदेशी इक्विटी में गिना जाता है। लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर से पहले 2.5 करोड़ रुपये प्रवेश शुल्क देना होता है। आपरेटरों की संख्या संबंधी कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी एन एल डी आपरेटर देश में एक सर्किल से दूसरे सर्किल के लिए परियात ले जा सकता है। एनएलडी आपरेटर का लाइसेंस 20 साल की अवधि के लिए गैर-संपूर्ण के आधार पर जारी किया जाता है। इसकी अवधि एक बार में 10 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। भारत संचार निगम लि० के अलावा 18 अन्य कंपनियों ने नेशनल लांग डिस्टेंस सर्विस के लिए लाइसेंस समझौते पर दस्तखत किए हैं। प्रतिस्पर्धा से शुल्क में कमी आयी है।

इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस सर्विस (लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा)

इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस सर्विस (आईएलडी) वस्तुत: वाहक सेवाओं का नेटवर्क है जिससे विदेशी वाहकों द्वारा संचालित नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क उपलब्ध कराया जाता है। नई दूर संचार नीति–1999 के अनुसार सरकार ने इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस सर्विस को 1 अप्रैल, 2002 से निजी आपरेटरों के लिए खोल दिया है। इसमें आपरेटरों की संख्या की कोई पाबंदी नहीं है। भारत में पंजीकृत ऐसी कंपनियां जिनकी शुद्ध नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपये है, आवेदन करने की पात्र हैं। आवेदक कंपनी में विदेशी कुल विदेशी इक्विटी समूची लाइसेंस अवधि के दौरान 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी में एनआरआई/ओसीबी/ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के निवेश को विदेशी इक्विटी में गिना जाता है। लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर से पूर्व 2.5 करोड़ रुपये का प्रवेश शुल्क 2.5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के साथ प्रस्तुत करना होता है। लाइसेंस समझौते की तारीख से 20 साल तक लाइसेंस वैध रहता है। अभी तक 18 अन्य कंपनियों ने इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस सर्विस के लिए लाइसेंस समझौते पर दस्तखत किए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर श्रेणी–I (आई पी–I)

आई पी–I के लिए आवेदक कंपनी को केवल दूर संचार विभाग में पंजीकरण कराना होता है। आई पी–I के रूप में पंजीकृत कंपनियां डार्क फाइबर, गुजरने का अधिकार, डक्ट स्पेस और टावर उपलब्ध करा सकती हैं। भारत में पंजीकृत सभी कंपनियां आवेदन करने की पात्र हैं। विदेशी इक्विटी और प्रवेशार्थियों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक कंपनी को आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। अब तक 203 कंपनियां श्रेणी–I के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में पंजीकृत हो चुकी हैं।

सेल्यूलर सेवाएं

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और यूनाइटेड ऐक्सेस सेवा के लिए पूरे देश को 19 दूरसंचार सर्किलों और 4 महानगर सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है। नए लाइसेंस के लिए 15 सितंबर, 2005 से चेन्नई मेट्रो और तमिलनाडु का विलय कर दिया गया है। लगभग प्रत्येक सेवा क्षेत्र में 5–8 आपरेटर होता है। इस समय (30 जून, 2006 को) सेल्यूलर ग्राहकों की संख्या 185.13 करोड़ से अधिक है और इसमें हर महीने करीब 6 से 8 मिलियन की दर से वृद्धि हो रही है। इस समय 60 सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस लाइसेंसधारक हैं। लाइसेंस शुल्क राजस्व भागीदारी के रूप में होता है और इसकी राशि संचालन क्षेत्र के अनुसार समायोजित सकल राजस्व का 6 प्रतिशत/8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है।

एकीकृत संदेश सेवा (वाइस मेल/ऑडियो टैक्स्ट) यूनीफाइड मैसेजिंग सर्विस

नई दूर संचार नीति–1999 की शर्तों के अनुसार जुलाई 2001 में वाइस मेल/ऑडियो टैक्स्ट सेवा के लिए नई नीति की घोषणा की गई। इसके लिए एक नई सेवा को जिसका नाम यूनीफाइड मैसेजिंग सेवा था, को शामिल किया गया। यूनीफाइड मैसेजिंग सर्विस (यूएमएस) एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से वाइस मेल, फैक्स और ई–मेल (तीनों) को टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, इंटरनेट ब्राउजर आदि की मदद से एक ही मेल बॉक्स से प्राप्त किया जा सकता है। फिलहाल 11 कंपनियों के पास सात शहरों में ये सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 लाइसेंस हैं।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस (पीएमआरटीएस)

नई दूरसंचार नीति-1999 के परिप्रेक्ष्य में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस के लिए नीति की तीन महानगरों व सात सर्किल घोषणा 1 नवंबर, 2001 को की गई। नई पीएमआरटीएस सेवा के लिए पीएमआरटीएस संपर्क की भी इजाजत है। इस समय ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 15 कंपनियों को 3 मैट्रोशहरों और 10 सर्किलों में 45 लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस शुल्क राजस्व भागीदारी के रूप में होता है जो समायोजित सकल राजस्व का 5 प्रतिशत है।

उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल निजी संचार के लिए नीति

एनटीपी-1999 के अनुसार ग्लोबल मोबाइल निजी संचार उपग्रह (जीएमपीसीएस) के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति को 2 नवंबर, 2001 को अंतिम रूप दिया गया और घोषित की गई।

जीएमपीसीएस लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया पेचीदा है। जीएमपीसीएस लाइसेंस का आवेदन समस्त प्रस्ताव सहित विधि प्रवर्तन एजेंसी को सुरक्षा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव को अंतर-मंत्रालय समिति जिसमें सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव (अंतरिक्ष विभाग) और निदेशक (आसूचना ब्यूरो) होते हैं, से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात आशय पत्र जारी किया जाता है। इस समय एक आवेदक कंपनी को जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए आशय पत्र जारी किया जा चुका है और लाइसेंस पर अब हस्ताक्षर किए जाने हैं। इस प्रक्रिया में सुरक्षा निगरानी के संबंध में जीएमपीसीएस गेटवे और भू-स्टेशन की जांच भी शामिल है। लाइसेंस शुल्क, जो राजस्व भागीदारी के रूप में है, समायोजित सकल राजस्व 10 (दस) प्रतिशत है और प्रवेश शुल्क एक करोड़ रुपए है।

अन्य सेवा प्रदाता

(i) कॉल सेंटरों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू), नेटवर्क प्रचालन केंद्रों और वाहन ट्रेकिंग प्रणालियों का पंजीकरण अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) श्रेणी के तहत किया जा रहा है।

(ii) दूरसंचार विभाग में अभी तक 2500 से अधिक मामलों को ओएसपी श्रेणी के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।

(ii) 10 सर्किलों में कॉल सेंटरों का ओएसपी श्रेणी और टेलीमार्केटरों का टेली मार्केटिंग श्रेणी में पहले ही 01.09.2007 से दूरसंचार विभाग मुख्यालय से वीटीएम प्रकोष्ठों को विकेंद्रीकृत कर दिया गया था। इसके अलावा 01.6.2008 से इस कार्य को सभी वीटीएम को विकेंद्रीकृत किया गया है। तथापि, ओएसपी और टेलीमार्केटर के नीतिपरक मुद्दों का संचालन ग्राहक सेवा (सीएस) प्रकोष्ठ करेगा।

(iv) हाल में ओएसपी नीति 05.08.2008 को संशोधित की गई है और नई नीति के अनुसार काल सेंटर ओएसपी के घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) की अवधारणा की अनुमति दी गई है।

प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचा

भारत संचार निगम का 42 प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तृत प्रशिक्षण तंत्र है। इसके अंतर्गत शीर्ष स्तर के तीन प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में एडवांस लेवल टेली कम्यूनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर (एएलटीटीसी); जबलपुर में भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान (बीआरबीआरएआईटीटी), और हैदराबाद

में राष्ट्रीय दूरसंचार वित्त और प्रबंधन अकादमी (एनएटीएफएम) शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय, मंडलीय तथा जिला स्तर पर भी 39 दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र भारत संचार निगम लि० के विभिन्न विभागों की—जैसे दूरसंचार टेक्नोलाजी, प्रबंधन, कंप्यूटर, वित्त, भवन विज्ञान आदि की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

उच्च स्तरीय दूर-संचार प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद की स्थापना सरकार ने 1975 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन की सहायता से की थी। यह एशिया के प्रमुख दूर-संचार प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है और भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एशिया-प्रशांत आर्थिक और सामाजिक सहयोग संगठन (ईएससीएपी) तथा एपीटी के सदस्य देशों के दूरसंचार प्रशासनों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है। यह केंद्र निचले, मध्यवर्ती और शीर्ष स्तर के दूरसंचार इंजीनियरों तथा मैनेजरों के लिए उच्च टेक्नोलाजी पर आधारित दूरसंचार और आधुनिक प्रबंधन पाठ्यक्रमों का विकास तथा उनमें प्रशिक्षण देता है। यह तैयार की गई पाठ्यक्रम सामग्री, दृश्य-श्रव्य शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराने में संसाधन केंद्र का कार्य करता है। यह प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण देता है। एएलटीटीसी गाजियाबाद गुणवत्ता संबंधी आईएसओ 9001-2000 मानदंडों पर आधारित प्रमाणित संस्थान है।

भारत रत्न भीम राव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर दूरसंचार और सूचना टेक्नोलाजी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाला भारत संचार निगम लिमिटेड का अग्रणी संस्थान है। इसे भी उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के लिए आईएसओ 9001-2000 प्रमाणपत्र प्राप्त है। इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय/मण्डलीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। ये हैं—बीआरबीआरएआईटीटी, जबलपुर; एएलटीटीसी, ग़ाजियाबाद; सीटीटीसी, मैसूर; आरटीटीसी, चेन्नई; आरटीटीसी, अहमदाबाद; सीटीटीसी अहमदाबाद; आरटीटीसी, जयपुर; आरटीटीसी, लखनऊ; आरटीटीसी, नागपुर; सीटीटीसी, इन्दौर; आरटीटीसी, पुणे; आरटीटीसी, राजपुरा; सीटीसीसी राजपुरा; आरटीटीसी, सुन्दरनगर; सीटीटीसी, जम्मू; सीटीटीसी, कुरूक्षेत्र; सीटीटीसी, तिरूवनन्तपुरम; आरजीएमटीटीसी, चेन्नई; आरटीटीसी, तिरुवनंतपुरम; आरटीटीसी, मैसूर; आरटीटीसी, हैदराबाद; आरटीटीसी, कल्याणी और सीटीटीसी चेन्नई के क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र को भी आईएसओ प्रमाणन प्राप्त है। अन्य प्रशिक्षण केंद्र भी आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

देशभर में बीएसएनएल के समग्र प्रशिक्षण क्रियाकलापों के केंद्रीकृत सरलीकरण और मॉनीटरिंग के लिए सीटीएमएस (कंप्यूटरीकृत प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली) पैकेज शुरू करके इन क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। सभी एसएसए युनिटों को कवर करके प्रशिक्षण समन्वयकों का एक नेटवर्क संस्थापित किया गया है ताकि प्रशिक्षण को ''आवश्यकता आधारित'' और ''संगत'' बनाने के प्रयास करते हुए प्रत्येक युनिट के लिए प्रशिक्षण योजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य किया जा सके। प्रौद्यागिकीय परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तन को देखते हुए बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा मांगों को पूरा करने के लिए अपनी प्रशिक्षण अवसंरचना की नियमित समीक्षा कर रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कर्मचारियों के कौशल उन्नयन हेतु उन्हें अपनी स्वयं की योजनाओं को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ''कर्मचारी सशक्तिकरण संबंधी पहल'' के जरिए प्रशिक्षण हेतु एक प्रोत्साहनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

सर्वोच्च स्तर

1. एएलटीटीसी, गाजियाबाद
2. बीआरबीआरएआईटीटी, जबलपुर
3. एनएटीएफएम, हैदराबाद

क्षेत्रीय टेलीकॉम प्रशिक्षण केंद्र

क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र	क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र
1.	अहमदाबाद	8.	लखनऊ
2.	भुवनेशवर	9	मैसूर
3.	चेन्नई	10	नागपुर
4.	गुवाहाटी	11	रांची
5.	हैदराबाद	12	पुणे
6.	जयपुर	13	राजपुर
7.	कल्याणी	14	तिरुअनंतपुरम

सर्किल टेलीकॉम प्रशिक्षण केंद्र

क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र	क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र
1.	अहमदाबाद	11	लखनऊ
2.	इंदौर	12	मैसूर
3.	भुवनेशवर	13	मेरठ
4.	कोलकाता	14	नासिक
5.	चेन्नई	15	पटना
6.	गुवाहाटी	16	राजपुर
7.	जयपुर	17	शिलौंग
8.	जम्मू	18	सुंदरनगर (एच पी)
9.	काकीनाड़ा	19	तिरुअनंतपुरम
10.	कुरुक्षेत्र		

जिला टेलीकॉम प्रशिक्षण केंद्र

क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र	क्रम संख्या	प्रशिक्षण केंद्र
1.	अहमदाबाद	4	चेन्नई
2.	बंगलोर	5	हैदराबाद
3.	कोलकाता	6	पुणे

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र

दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) दूरसंचार विभाग का विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह दूरसंचार विभाग को तकनीकी सलाह प्रदान करता है। टेलीकॉम मानकों का निर्माण करता है और निर्माताओं और सेवा प्रदान कर्त्ताओं के लिए टेलीकॉम उत्पादों को प्रमाणित करता है। इसका मिशन है राष्ट्रीय मानकों का निर्माण करना, भारत में टेलीकॉम उत्पादों सेवाओं की

नियुक्तिओं के लिए विशिष्टीकरण और अन्य तकनीकी दस्तावेजों को तैयार करना। परस्पर मान्य प्रबंध के उद्देश्य पूरे करने के लिए सुविधायें जुटाना, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों और सभी हितधारकों (सेवा प्रदानकर्त्ताओं और निर्माताओं) के सहयोग से मानकों एवं विशिष्टताओं का निर्माण करना। टीइसी द्वारा प्रमाणित उत्पादों की भारत एवं विदेशों में काफी मान्यता है।

टीईसी की भूमिका और काम इस प्रकार हैं-

- सेवा प्रदानकर्त्ताओं के विभिन्न नेटवर्कों के बीच विकास एवं बिना किसी रुकावट के परस्पर काम करने के लिए मानकों एवं विनिर्देशन का निर्माण।
- भारत में एनजीएन एनेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क लगाने के लिए प्रयास एवं आक्रामक कार्य और विश्वस्तरीय एनजीएन बैंड स्थापित करना। टीइसी के अंतर्गत एक फोकस ग्रुप एनजीएन के अध्ययन पर काम कर रहा है। जो विविध हितधारकों और प्रयोगकर्त्ताओं को वृहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विषय को समझने में मदद कर सकता है।
- एनजीएन के सभी हितधारकों के राष्ट्रीय फोकस ग्रुप टीइसी द्वारा चलाया जा रहा है।
- वाई–मैक्स और पीओएन प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देश में ब्रॉडबैंड को विस्थापित करना।
- विभिन्न निर्माताओं और सेवा प्रदान कर्त्ताओं के लिए यंत्रों एवं सेवाओं को प्रमाणपत्र एवं मंजूरी प्रदान करना।
- भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग, समझौता (सीइसीए) हुआ है जिसके अनुसार दोनों देश टेलीकॉम क्षेत्र में परस्पर मान्य समझौता (म्यूचुअल डेजिग्नेशन एग्रीमेंट—एमडीए) पर सहमत हो गए हैं।
- भारत, दक्षिण पूर्व एशिया एवं सार्क देशों में प्रयोग के लिए टेलीकॉम उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए कन्फॉर्मेंस एसेसमेंट बॉडीज (सीएबी) की स्थापना।
- दूरसंचार विभाग को तकनीकी समर्थन एवं ट्राई एवं टीडी सैट को तकनीकी सलाह देना।
- दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजना की रूपरेखा बनाना।
- भारत में समस्त दूरसंचार पारितंत्र के विकास के लिए ''राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी थिंक–टैंक'' के साथ समन्वय बनाना।
- टेलीकॉम नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत और सुरक्षा नियंत्रण की रूपरेखा बनाना।
- दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को अनुसंधान एवं विकास का मुख्य स्थल बनाने के लिए सार्वजनिक एवं निजी टेलीकॉम क्षेत्रों के सहयोग द्वारा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सी–डॉट के साथ सकारात्मक सहयोग करना।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू), रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार क्षेत्र, विकास क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (ईएनटीईएलएसएटी), अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (ईएनएमएआरएसएटी), इन्टर स्पूतनिक (अंतर्राष्ट्रीय अंतर्सरकारी अंतरिक्ष संगठन), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ संपर्क करके दूरसंचार क्षेत्र में मानकीकरण।

दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र के निम्नलिखित तकनीकी विशिष्ट समूह हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी (डाटा व एप्लीकेशन, आईपीवी 6 टेस्ट बेड)
- स्विचिंग (न्यू टेक्नोलॉजी स्विचेज और नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क)
- मूल्य संवर्धित सेवाएं (तार एवं बेतार नेटवर्क)
- ट्रांसमिशन (स्थलीय, ओएफसी, जीपीओएन, ईपीओएन, आउटडोर प्लांट)
- रेडियो एवं सेटेलाइट ट्रांसमिशन

मानकीकरण : यंत्रों और नेटवर्कों के बीच सूचना के खुले आदान-प्रदान के लिए मानकीकरण एक आवश्यक जरूरत है। कोई नेटवर्क मानकीकरण के बिना काम नहीं कर सकता। टीईसी का मुख्य उद्देश्य मानकों का निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करना है जिसमें सभी भागीदार सकारात्मक सहयोग प्रदान करते हैं।

जांच एवं मंजूरी : टीईसी प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए और नेटवर्कों में आपसी जोड़ के लिए विविध टेलीकॉम उत्पादों की जांच करना एवं मंजूरी प्रदान करना है। लाइसेंस सेवा प्रदानकर्त्ता की जांच सेवा के गुणवत्ता परीक्षण के लिए करना है।

तकनीकी समर्थन : टीईसी दूरसंचार विभाग को विविध तकनीकी मुद्दों पर समर्थन एवं सहयोग प्रदान करता है। (मूलभूत योजनाओं, प्रौद्योगिकी योजना और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन के लिए)।

प्रकाशन : टीईसी निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रकाशित करता है।

- जेनेटिक रिक्वायरमेंट (जीआर)
- इंटरफेस रिक्वायरमेंट (आईआर—आईटी)
- स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट (एसडी)
- सर्विस रिक्वायरमेंट (एसआर)
- मंजूरी प्रक्रिया दस्तावेज
- टेक्नोलॉजी व्हाइट पेपर
- टीईसी न्यूजलेटर : तकनीकी लेख और टीईसी के कार्यकलापों के मुख्य बिंदु
- एनजीएन पर सार संग्रह (प्रकाशन के अधीन)

टीईसी ने नई वेबसाइट www.tec.gov.in शुरू की है और अधिकांश सूचना टी ई सी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) भारत सरकार का दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है।

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र स्थिर लाइन, मोबाइल तथा पैकेट आधारित कन्वर्ज्ड नेटवर्कों और सेवाओं के लिए सम्पूर्ण दूरसंचार समाधान, प्रौद्योगिकियां और अनुप्रयोग विकसित करता है। इस समय टेलीमैटिक्स विकास केंद्र का ध्यान प्रतिरक्षा और सुरक्षा अभिकरणों, माइग्रेशन समाधनों सहित नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्कों पर आधारित पैकेट के लिए प्रणालियां विकसित करने संबंधी परियोजनाओं पर केंद्रित है। टेलीमैटिक्स विकास केंद्र माडल परियोजनाओं के टर्नकी और विकास, निर्माण और प्रचालन करने

सहित साफ्टवेयर से जुड़े उत्पादों और समाधानों को भी महत्व दे रहा है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल अंतर को पाटने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने और उद्यम और ब्रॉडबैंड समाधान विकसित करने के लिए स्कीमों के भी एक भाग के रूप में हैं।

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र के उत्पाद पोर्टफोलियो में ऐडवांस्ड इंटेलीजेंट नेटवर्क समाधान, ऐक्सेस नेटवर्क उत्पाद, वेवलेंग्थ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिग (डब्ल्यूडीएम) प्रणालियां, उपग्रह संचार प्रणालियां, नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां, प्रचालन सहायता प्रणालियां, वायस और डाटा संचार हेतु सेल एंड पैकेट प्रौद्योगिकियां और ग्रामीण वायरलेस अभिगम्यता और ज्ञानात्मक रेडियो और परिभाषित साफ्टवेयर पर आधारित ब्रॉडबैंड समाधान शामिल हैं। टेलीमैटिक्स विकास केंद्र क्षेत्र में संस्थापित परम्परागत प्रणालियों का सतत उन्नयन कर रहा है।

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र ने क्षमता संवर्धन और बाजार में भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न भागीदारों के साथ सहयोग के विभिन्न माडलों का चयन किया है। इसकी कुछ नई नीतियों में स्थिर लाइन स्विचन उत्पादों के लिए अंगीकृत प्रौद्योगिकी अंतरण के पूर्ववर्ती प्रणाली–विज्ञान के अलावा परियोजना भागीदारी, को–ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और अंगीकरण शामिल हैं।

बेतार नियोजन और समन्वय स्कंध

वायलैस प्लानिंग ऐंड कोआर्डिनेशन विंग (डब्ल्यू पी सी) की स्थापना 1952 में हुई थी। यह देश में रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग का समन्वय तथा विनियमन करने वाला राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। यह दूरसंचार संबंधी सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशंस यूनियन (आईटीयू) और एशिया–पैसिफिक टेलीकम्यूनिटी (एपीटी) के साथ तालमेल रखने वाली केंद्रीय एजेंसी है। डब्ल्यूपीसी अपने निगरानी संगठन की सहायता से भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसियों के नियोजन, समन्वय, आवंटन, विनियमन और उपयोग जैसे तमाम कार्य करता है। यह बेतार केंद्रों की स्थापना के लिए स्थानों को साफ कराता है और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन बेतार केंद्रों की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए लाइसेंस जारी करता है। यह सभी ज़मीनी, भू–स्थिर उपग्रह कक्षा (जीएसओ) तथा गैर–जीएसओ आधारित उपग्रह नेटवर्क (जीएसओ में स्थिति सहित) के लिए फ्रीक्वेंसी आवंटित करने तथा इस संबंध में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर आवश्यक तालमेल संबंधी तमाम मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह हवाई और समुद्री मोबाइल सेवाओं तथा शौकिया रेडियो स्टेशन चलाने वालों को दक्षता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षाएं भी आयोजित करता है। निजी सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा बेसिक तथा मूल्य–संवर्धित सेवा उपलब्ध कराए जाने का भारत सरकार के फैसले और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणाम स्वरूप प्रसारण दायरे तथा सूचना टेक्नोलाजी क्षेत्र के विस्तार से रेडियो स्पेक्ट्रम और ऑर्बिट संसाधनों की मांग में भारी वृद्धि हुई है।

आधुनिक दूरसंचार का रुझान ऊंची डाटा स्पीड के साथ बढ़ी सचलता की तरफ है। मोबाइल कम्यूनिकेशन सिर्फ बेतार माध्यम से ही संभव है। इससे आर एफ स्पेक्ट्रम के पहले से ही अल्प संसाधन की स्थिति पर और मांग बढ़ी है। मोबाइल सेवाओं ने कई सामाजिक–आर्थिक लाभों के अतिरिक्त भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति ला दी है। बेतार नियोजन और समन्वय स्कंध स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग के माध्यम से नयी सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और आवश्यक स्पेक्ट्रम प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

क्र. सं.	क्षेत्र/कार्य	एफडीआई सीमा/इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें	संबंधित प्रेस नोट
1.	बुनियादी और सेलूलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय, लंबी दूरी, वी-सेट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाएं (पीएमआरटीएस) ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कॉम्युनिकेशन्स सर्विसेज (जीएमपीसीएम) और अन्य मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाएं	74 प्रतिशत (एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर, परिवर्तनीय अधिमानी शेयर तथा भारतीय प्रवर्तकों/निवेशक कंपनियों में समानुपाती विदेशी इक्विटी सहित)	49% तक स्वत: 49% के बाद एफआईपीबी	प्रेस नोट सं. 3 (2007 श्रेणी) में अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्याधीन	पीएन 3/2007
2.	गेटवेज सहित आईएसपी, रेडियो पेजिंग, एंड-टू-एंड बैण्ड्विडथ	74%	49% तक स्वत: 49% के बाद एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंसिंग और सुरक्षा जरूरतों के अध्याधीन	पीएन 4/2001
3.	(क) गेटवे रहित आईएसपी (ख)अवसंरचना प्रदाता डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर (श्रेणी-1) प्रदान कर रहा है; (ग) इलैक्ट्रानिक मेल और वॉइस मेल	100%	49% तक स्वत: 49% के बाद एफआईपीबी	इस शर्त के अध्याधीन कि यदि ये कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध की जाती है तो ये कंपनियां पांच वर्षों में भारतीय जनता के हित में अपनी 26% इक्विटी का परित्याग करेंगी बशर्तें कि साथ ही जहां अपेक्षित हो वहां लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी इंतजाम हो	पीएन 9/2000 और पीएन 2/2007

4.	दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माता	100%	स्वत:	क्षेत्रीय जरूरतों के अध्याधीन	पीएन 2/2000

24.8.2007 को सरकार ने आईएसपी के दिशा–निर्देश संशोधित किए हैं और केवल गेटवे घटक एवं 74% एफडीआई सहित आईएसपी लाइसेंस के लिए नए दिशानिर्देशों में व्यवस्था की गई है।

अगस्त 1991 से मार्च, 2008 तक दूरसंचार क्षेत्र में वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक अंतर्वाह (वर्षवार)

करोड़ रुपये में

वर्ष	विदेश प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह	वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह
अगस्त, 1991 से दिसंबर, 1999 तक	50202	2000	3428
		2001	42478
		2002	7749
		2003	6910
		2004	6004
		2005	7062
		2006	41702
		2007	43542
		2008 (मार्च तक)	8704
		कुल	**217,781**

*ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

भारत संचार निगम लिमिटेड :

1. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना 1 अक्तूबर, 2000 को तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग का निगमीकरण करके की गई थी। कंपनी ने देश के सभी भागों में दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों को अपने हाथ में लिया है।

2. बीएसएनएल भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी प्रदत्त पूंजी 12,500 करोड़ रु. है जिसमें 5000 करोड़ रु. की इक्विटी तथा 9 प्रतिशत अधिमानी शेयरों के 7500 करोड़ रु. शामिल हैं और दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य 88,128 करोड़ रु. है।

2.1 वर्ष 2007–08 के दौरान इसका वार्षिक राजस्व 38,053 करोड़ रु. से अधिक था।

3. बीएसएनएल एक प्रौद्योगिकी उन्मुखी कंपनी है और सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं अर्थात् लैण्ड लाईन पर टेलीफोन सेवाएं डब्ल्युएलण्ल तथा मोबाइल, पट्टाशुदा सर्किट्स इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और लंबी दूरी की दूरसंचा सेवाएं प्रदान करता है।

4. दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 3.08 लाख है, जिनमें से अधिकांश डीटीएस से स्थानान्तरित हुए थे और अब बीएसएनएल में आमेलित हो चुके हैं।

5. कंपनी देश में शत-प्रतिशत नई डिजिटल स्विचिंग नेटवर्क के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। 31.07.2008 की स्थिति के अनुसार लैण्डलाइनों से संबंधित इस विशाल स्विचिंग नेटवर्क के अंतर्गत 38,244 एक्सचेंज शामिल हैं जिनकी क्षमता 465.22 लाख लाइनों की है। बीएसएनएल का देश-व्यापी नेटवर्क, सभी जिला-मुख्यालयों, उप-मंडल मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा लगभग सभी प्रखण्ड मुख्यालयों को कवर करता है। 31.07.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल का लैण्डलाइनों पर उपभोक्ता आधार 306.57 लाख टेलीफानों का है।

6. बीएसएनएल ने वायरलेस इन लोकल लूप नेटवर्क में सीडीएमए प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण लगाए हैं। 31.07.2008 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूएलएल पर 46.17 लाख टेलीफोन कार्य कर रहे हैं जिनकी कुल उपस्कर युक्त क्षमता 74.39 लाख लाइनों की है। 2642 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में से 2580 अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों को कम से कम एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन उपलब्ध कराया गया है।

7. बीएसएनएल ने दिनांक 19.10.2002 को अपनी जीएसएम आधारित देशव्यापी सेल्युलर मोबाइल सेवाओं की शुरूआत की। बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत लगभग सभी शहर तथा अधिकांश राष्ट्रीय राज मार्ग, रेलमार्ग तथा राज्यों के राज्य मार्ग शामिल हैं। बीएसएनएल की सेल्युलर सेवाएं राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण राज्य-मार्गों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों को आनुंषगिक कवरेज भी प्रदान कर रही हैं। 31.07.2008 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल का उपभोक्ता आधार 37.92 मिलियन है तथा दो लाख गांवों में आनुषंगिक कवरेज सहित उपस्कर युक्त क्षमता 34.42 मिलियन है।

8. बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सेवाएं जनवरी, 2005 में शुरू की थी तथा 31.07.2008 तक 24.57 लाख कनेक्शन प्रदान किए थे। बीएसएनएल ने 621 जिला मुख्यालयों में से 589, 6374 ब्लॉक मुख्यालयों में से 2,698 तथा 593,601 गांवों में से 30,124 में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की हैं।

9. बीएसएनएल डायल-अप पर इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है। 31.07.2008 की स्थिति के अनुसार इसका उपभोक्ता आधार लगभग 5.5 लाख है।

10. बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2.59 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए हैं।

11. 31.07.2008 तक बीएसएनएल द्वारा 5.94 लाख गांवों (2001 की जनगणना के अनुसार) में से 5.22 लाख गांवों को वीपीटी पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं।

12. मूल्य वर्द्धित सेवाएं : बीएसएनएल ब्रॉड बैंड तथा मोबाइल नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार की मूल्य वर्द्धित सेवाएं जैसे समाचार, वित्तीय जानकारी, मनोरंजन, यात्रा, दूरदर्शन कार्यक्रमों की सूची, शेरो-शायरी, रिंगटोंस, क्रिकेट, हास्य, एस्ट्रोलॉजी, खेलकूद, रेडियो, परीक्षा परिणाम, धार्मिक तथा आध्यात्मिक जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, वैवाहिक, जन्मकुंडली, संगीत, फोन रेडियो, लाईव चैट, रोचक समाचार, पोलिफोनिक टयुन्स, वालपेपर्स, कलर लोगो, एनीमेशन्स, वीडियो क्लिप्स आदि सेवाएं प्रदान करा रहा है।

13. बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क 5.5 आरकेएम से भी अधिक विस्तृत है। इसके पास 216 उपग्रह केंद्र के अलावा 50,000 आरकेएम से अधिक डिजिटल माइक्रोवेव हैं।
14. बीएसएनएल ने अपनी आईएलडी का प्रचालन वर्ष 2004 से आरंभ किया। फिलहाल बीएसएनएल आईएलडी उपलब्ध करा रहा है।

14.1 बीएसएनएल ने श्रीलंका तक समुद्री केबल चालू किया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) 1 अप्रैल, 1986 को बना था। यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। इसे मुंबई (कल्याण) नयी मुंबई और ठाणे सहित और दिल्ली महानगरों की सीमाओं में दूरसंचार सेवाओं के प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन का दायित्व सौंपा गया है। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में मोबाइल सेवाएं दे रहा है।

एमटीएनएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 800 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 630 करोड़ रु. है। इसकी चुकता पूंजी के 56.25 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं।

एमटीएनएल के गठन के बाद का डेढ़ दशक बड़ा घटनापूर्ण रहा है। इस दौरान चौतरफा विकास, प्रगति और संचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। एमटीएनएल कई तरह की दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिनमें शामिल हैं फिक्स्ड टेलीफोन सेवा, जीएसएम आधारित मोबाइल फोन सेवा, सीडीएमए आधारित वायरलेस इन लोकल लूप और लिमिटेड मोबाइल, ए डी एस एल2 पर इंटरनेट ब्रॉडबेंड टेक्नोलाजी और लीज्ड लाइन सेवाएं।

एमटीएनएल उन कुछ गिने चुने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में से एक है जो न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

एमटीएनएल का नेटवर्क पूरी तरह डिजिटल है। 31 जुलाई, 2008 को दिल्ली में इसके 343 और मुंबई में 210 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे थे। 9.72 लाख की स्विचिंग क्षमता वाला एमटीएनएल सेल्यूलर सहित 7.43 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों का संचालन कर रहा है। 31 जुलाई, 2008 तक को एमटीएनएल ने कुल 35.37 लाख जीएसएम कनेक्शन, 13.69 लाख इंटरनेट कनेक्शन और 5.93 लाख ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

एमटीएनएल ने फरवरी, 2001 में दिल्ली और मुंबई दोनों में ''डॉल्फिन'' ब्रांड नाम के अंतर्गत जीएसएम आधारित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की थी। इस अवधि के दौरान जीएसएम नेटवर्क का सतत रूप से विस्तार हुआ है और इसमें अब जीपीआरएस/ईडीजीई सुविधा है। नेटवर्क की वर्तमान क्षमता 3100000 लाइनों की है जिसमें 3537248 कनेक्शन (प्रीपेड+पोस्टपेड) कार्य कर रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए मार्च, 2008 में दिल्ली में जीएसएम नेटवर्क में 750 हजार लाइनों की वृद्धि की गई है जिसमें आईएन, एचएलआर आदि की क्षमता बढ़ायी गयी है। मुंबई में 09/08 तक 500 हजार जीएसएम लाइनों की भी वृद्धि की गई है। एमटीएनएल 3 जी सेवा की भी शुरुआत कर रहा है। जिसके लिए दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 750 हजार लाइनों की क्षमता के लिए आर्डर दिए जा रहे हैं। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई के तहत संपूर्ण क्षेत्र में इंडोर समाधान के अलावा प्रत्येक नगर में लगभग 710 नोड्स बी की भी योजना बनायी जा रही है।

1. एमटीएनएल ने वर्ष 2001-02 के दौरान ब्रांड नाम ''गरूड़'' से दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में सीडीएमए आधारित सीमित मोबाइल सेवा शुरु की। एमटीएनएल ने 2005-06 में दिल्ली

और मुंबई प्रत्येक में अत्याधुनिक 400 हजार सीडीएमए 2000 1x नेटवर्क भी चालू किया है। जिसमें वॉयस, हाई स्पीड डाटा और एसएमएस, वीएमएस और अन्य मूल्यवर्द्धित सेवा प्राप्त होती है। 31.07.2008 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और मुबंई में क्रमशः करीब 1.26 लाख और 1.53 लाख सीडीएमए कनेक्शन (फिक्सड+मोबाइल) कार्य कर रहे हैं। सीडीएमए उपभोक्ताओं को अनेक मूल्य वर्द्धित सेवाओं की पेशकश की गई है।

2. एमटीएनएल लैंडलाइन उपभोक्ताओं को एडीएसएल 2+ पर ब्रॉडबैंड भी प्रदान कर रहा है। 31.07.2008 की स्थिति के अनुसार कुल उपभोक्ता आधार 5.93 लाख है। एमटीएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा काफी लोकप्रिय है। हाल ही में ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार दिल्ली में 1.50 लाख लाइनों द्वारा और मुंबई में 50 हजार लाइनों द्वारा किया गया है और उपस्करों का आदेश दिया गया है और आगे एक मिलियन क्षमता के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

3. एमटीएनएल ने राजस्व हिस्सेदारी आधार पर वाई-मैक्स शुरु करने के लिए अभिरूचि अभिव्यक्ति भी आमंत्रित की है। वाई-मैक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली और मुंबई दोनों में मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरु की गई हैं।

4. एमटीएनएल ने दिल्ली क्षेत्र में दुर्गम और महत्वपूर्ण स्थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान के लिए वाई-फाई सेवा शुरु की है।

5. एमटीएनएल ने सभी सेवाओं के लिए अभिसारित आईपी नेटवर्क प्रदान करने के लिए दिल्ली और मुंबई में अत्याधुनिक आईपी/एमपीएलएस कोर नेटवर्क चालू किया है। यह नेटवर्क इस समय एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड, आईपीटीवी और जीएसएम परियात संभाल रहा है।

6. एमटीएनएल ने उभरती प्रवृत्तियों के अनुसार अगली पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन) शामिल करने की योजना बनायी है। 24 हजार टेंडेम क्षमता के लिए क्रयादेश दिया जा चुका है और उपकरण संस्थापित किया जा रहा है।

7. एमटीएनएल ने अपना पारेषण नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 40 चैनल 10 जीबी/चैनल डीडब्ल्यूडीएम उपस्कर के 42 टर्मिनलों (दिल्ली और मुंबई) की आपूर्ति के लिए क्रयादेश दिया है। इस समय उपस्कर का परीक्षण चल रहा है और संस्थापन कार्य जल्द ही शुरु होने की आशा है।

8. एमटीएनएल अपने अभिगम नेटवर्क में और अधिक आप्टिकल फाइबर शामिल कर रहा है और जी-पीओएन पर आधारित एफटीटीएच शामिल करने की योजना बना रहा है ताकि इसके सभी महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके घरों तक फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके जिससे वे डाटा और वीडियो अनुप्रयोगों दोनों की अपनी और बढ़ी हुई बैंडविड्थ आवश्यकता को पूरा कर सकें।

9. अत्याधुनिक एकीकृत बिलिंग और सीआरएम प्रणाली की संस्थापना की जा रही हैं। इससे सीडीआर आधारित बिलिंग, उपभोक्ताओं को सभी सेवाओं के लिए एकल बिल, बिलिंग में लचीलापन और उपभोक्ताओं के लिए नवीन प्रशुल्क पैकेज को बढ़ावा मिलेगा और इससे बिल संबंधी शिकायतों को कम करने में मदद मिलेगी।

टेलीफोन सेवा के अतिरिक्त एमटीएनएल कई अन्य सेवाएं भी दे रहा है। इनमें से कुछ हैं—

- आई एन आधारित सेवाएं जिनमें प्रीमियम रेट सेवा शामिल है। प्री-पेड सेवा, वर्चुअल प्रायवेट नेटवर्क, यूनिवर्सल नंबर, टेलीवोटिंग आदि।

- कंप्यूटरीकृत प्रात:कालीन अलार्म, वाइसमेल, काल फारवर्डिंग, काल वेटिंग आदि जैसी फोन प्लस सेवाएं।
- एमटीएनएल ने समाचार, गेमिंग, क्रिकेट सूचना जैसी सेवाएं भी शुरू की हैं जो उभरती प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं।
- ई-मेल, इंटरनेट टेलीफोनों, वेब होस्टिंग, वेबसर्फिंग जैसी इंटरनेट आधाति सेवाएं भी शुरू की गई हैं।
- लैंडलाइन ग्राहकों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर आईटीपीवी दिया गया है। दिल्ली में ऐसे लगभग 5000 और मुंबई में 4000 कनेक्शन दिए गए हैं।
- दिल्ली और मुंबई में वीओआईसी सेवाएं शुरु की गई हैं। दोनों शहरों में करीब दो-दो हजार उपभोक्ता हैं।
- हाल ही में दिल्ली में एम कामर्स सेवा शुरु की गई है। इस प्लेटफार्म के जरिए जीएसएम उपभोक्ता बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

एमटीएनएल अपने ग्राहकों की कुछ निम्नलिखित उपायों के जरिए भी सेवा कर रहा है—

- फोन बिल की अदायगी में सुविधा के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे—आनलाइन अदायगी, ईसीएस, मास्टर कार्ड के द्वारा या कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर आटोमेटिक टेलर मशीनों के द्वारा अदायगी की व्यवस्था की गई है।
- लॉयल्टी स्कीम और कारपोरेट ग्राहकों पर ध्यान
- एमटीएनएल ने आटोमेटिक रेंट रिबेट, चार्ज, नंबर परिवर्तन एलान सेवा, ग्राहक सेवा प्रबंधन व्यवस्था आदि कई उपाय किए हैं।
- ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए काल सेंटर शुरू किए गए हैं।
- समाज के हर वर्ग की सुविधा के लिए शुल्क दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
- पीएसटीएन, बी/बी, जीएसएम, सीडीएमए (एम) के लिए विभिन्न सेवाओं और शिकायतों की ऑन लाइन बुकिंग अब उपलब्ध है।
- दिल्ली में संचार हाटों और मुंबई में ग्राहक सेवा केंद्रों में उपभोक्ताओं को नयी सेवाओं के पंजीकरण, सेल्युलर कनेक्शन के डुप्लीकेट बिलों, बिल भुगतान, वीसीसी कार्ड आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एमटीएनएल और एसटीपीआई ने एक नयी कंपनी एमटीएनएल—एसटीपीआई लिमिटेड के माध्यम से वेब फार्मिंग आवेदन के लिए डाटा केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाये हैं। इसमें 50-50 प्रतिशत इक्विटी की हिस्सेदारी है। यह आर्थिक प्रक्रियाओं के क्षेत्र में डाटा केंद्र सेवाएं, संदेश सेवाएं, व्यापार आवेदन सेवाएं प्रदान करेगा और इस प्रकार दुनियाभर में नेटवर्क समुदाय के बीच डॉट इन डोमेन को प्रचलित करेगा।

एमटीएनएल अपने विदेशी संचालनों में बुद्धि का इच्छुक है और फिलहाल कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों में क्षमता की पहचान कर रहा है। एमटीएनएल ने 2001-02 में यूटीएल की स्थापना की। यह नेपाल में सीडीएमए सेवा देने वाला एमटीएनएल, वीएसएनएल और टीसीआईएल का संयुक्त उद्यम है। एक अन्य उद्यम भी संयुक्त रूप से शुरू किया गया है वह है—महानगर टेलीफोन मारीशस

लिमिटेड जो मारीशस में अपनी 100 प्रतिशत पूंजी की सहायक कंपनी होगी और वहां पर बेसिक, लोकल और आईएलडी सेवाएं देगी।

एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत की इक्विटी के सहयोग से भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट से समुद्र के अंदर से केबल द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य-पूर्व में और इसके बाद इसे यूरोप एवं अमेरिका तक बिछाने की योजना है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज

दूरसंचार विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आईटीआई लि. की बंगलौर, रायबरेली, नैनी, मानकपुर, श्रीनगर और पलक्काड में छह उत्पादन इकाइयां हैं। इसमें दूरसंचार से संबंधित कई उपकरणों का विनिर्माण होता है। कंपनी घाटे में थी और सरकार ने इस कम्पनी को फिर से सक्रिय बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। बीएसएनएल/एमटीएनएल से 30% आरक्षण कोटा आईटीआई को दिया गया है। निविदा धरोहर और कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के प्रावधानों से भी छूट दी गयी हैं। सरकार ने आईटीआई के वैधानिक बकायों और वीआरएस व्यय के पुन:भुगतान हेतु सितंबर, 2007 में 377 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। आईटीआई द्वारा प्रस्तुत एक पुन:रूत्थान प्रस्ताव को अप्रैल, 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पुन:निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया।

कम्पनी के सामने एक बड़ी समस्या अतिरिक्त कर्मचारियों को लेकर है। इसके 31 मार्च, 2008 को 13045 कर्मचारियों में से करीब 4800 अधिशेष हैं जिससे कम्पनी का खर्च बहुत बढ़ गया है। हालांकि कम्पनी को पुनर्जीवित करने की योजना में इन कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से छंटनी करने की बात कही गयी है, लेकिन साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देकर आधुनिकतम टेक्नोलजी तथा स्वचालित यंत्रों-उपकरणों के संचालन के कार्य में पुनर्नियोजित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल)

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना 1978 में की गयी थी। इस समय यह कम्पनी बहुआयामी दूरसंचार संगठन है जो परिकल्पना से लेकर उसके पूरा होने तक समग्र दूरसंचार समाधान प्रस्तुत करती है। कम्पनी की असली महारत जीएसएम, सीडीएमए, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो, ट्रंकिंग और अपने इस्तेमाल के अन्य नेटवर्कों के आईटी नेटवर्क तैयार करने और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, ग्रामीण संचार, ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, टेली मेडिसिन आदि क्षेत्रों में है। इस कंपनी ने राजस्थान में जीएसएम सेवाएं देने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। नेपाल में सीडीएमए आधारित डब्लूएलएल संचार सेवाएं भी दी जाएंगी। टीसीआईएल को प्रतिष्ठित पैन-अफ्रीकी परियोजना भी सौंपी गई है, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी क्षेत्र के 53 देशों में टेली-शिक्षा और टेली-मेडीसिन उपलब्ध कराना है। भूटान और अन्य सार्क देशों में टेली-मेडीसिन सेवाएं सुलभ कराने का काम भी टीसीआईएल को मिला है।

टीसीआईएल पश्चिम एशिया और अन्य 60 देशों में परियोजनाएं पूरी कर रहा है या कर चुका है। इनमें पूर्वी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया के देश शामिल हैं। 30 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी से प्रारंभ करके इस कंपनी ने 5 बार बोनस शेयर जारी करके अपनी पूंजी बढ़ा कर रु. 28.80 करोड़ कर ली है। 2007-08 में इसने 415 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसका शुद्ध मूल्य 400 करोड़ रुपये है।

इंटरनेट

31 अगस्त, 2008 तक इंटरनेट सेवाएं देने के लिए 355 लाइसेंस जारी किए गए थे। मार्च, 2008 तक प्राप्त सूचना के अनुसार भारत में करीब 11.05 मिलियन इंटरनेट ग्राहक हैं।

वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल्स (वीएसएटी)

कुल 33 कंपनियों को अपने क्लोज्ड यूजर ग्रूप संचार हेतु इनसैट सैटेलाइट के जरिए कैप्टिव वीएसएटी संचालित करने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 11 वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंसधारक वीसैट सेवा दे रहे हैं। इन्हें एक ही मूल सुविधा हब के जरिए अपने सीमित ग्राहकों को सेवा देने की अनुमति है। भारत में 95,206 से ज्यादा वीसैट और 284 अर्थ स्टेशन काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74% हो गया है।